सीरीज़ 5

बदलते शहर में रोज़गार

जयपुर में असंगठित क्षेत्र के मज़दूर

खतरा केन्द्र (संचल फॉउन्डेशन)
फरवरी 2007

बदलते शहर में रोज़गार

इंदौर में

असंगठित क्षेत्र के मज़दूर

सिरिज़ –5

स्वतंत्र केन्द्र

(संचल फॉउन्डेशन)

फरवरी 2007

प्रकाशक	खतरा केन्द्र (संचल फाउंडेशन) नई दिल्ली, **2007**
सर्वेक्षण	दीनबंधु टीम
शोध एवं लेखन	अंजली-आनन्द लाखन
आंकडो का विश्लेष्ण	शशिकांत, बसब पॉल, जया कुमार
पेज सेटिंग	डी. लीना
कवर पेज	विनोद कोष्टी
स्केच	प्रणव प्रकाश
मुद्रक	लक्ष्मी पेपर सदन एण्ड प्रिंटर्स, रमेश नगर, नई दिल्ली
आर्थिक सहयोग	एक्शन एड इंडिया फोर्ड फाउन्डेशन

आभार

सर्वप्रथम आभारी हूँ शहर के मेहनतकश मजदूर एंव कामकाजी वर्ग का। इनकी मदद के बिना सही जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल था।

इन्हीं के साथ सुरेश, राजेश वर्मा, राजेश बावस्कर, अर्चना, मुकेश, दीपमाला, शेलेंद्र जिन्होंने सर्वे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अंजली, आनन्द लाखन, रीना लाखन का रिपोर्ट को अतिंम रूप देने के लिए व आशाताई, अरूण अंबोंरे, अशोक साल्वी, युवराज तायडे, गोपाल आदि के हर कदम पर सहयोग के लिए आभारी हैं।

सर्वप्रथम आभार वयक्त करता है एक्शन एड इंडिया और फोर्ड फाउन्डेशन का जिन्होनें इस अध्ययन में आर्थिक सहयोग दिया।

विषय सूची

शोध प्रविधि
1

इतिहास
4

सब्जी एवं फल विक्रेता
14

टेम्पो ड्रायवर
25

कबाड़ी का धंधा करने वाले
33

निर्माण मजदूर
44

कचरा बिनने वाले
48

हार्कस सर्वे
51

कुछ अन्य वर्ग
60

भविष्य की विकास योजनाएँ
61

निष्कर्ष
62

मानचित्र सर्वेक्षण
67

पेपर कटिंग
68

संदर्भ ग्रंथ सूची
75

भूमिका

इन्दौर शहर जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश में 14 वाँ और प्रदेश मे पहला स्थान रखता है। जनगणना 2001 के अनुसार इन्दौर की जनसंख्या 16,26,000 है, और 2021 तक 25,00,000 होने की संभावना है। पीथमपुर और देवास जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के करीब होने की वजह से, पिछले दो दशकों में इन्दौर की जमीनों के भावों में एकदम से उछाल आया है। लोगो ने बाहर से आकर शहर में पूंजी लगाना शुरू की है। फिर चाहे मास्टर प्लान हो या कोई अन्य विकास योजना ये सब ही एक विशिष्ट वर्ग को फायदा देती नजर आती है। इन बीते वर्षो मे कई योजनाएँ शहरवासियो पर विकास के नाम पर थोपी गई। इन योजनाओ से शहर का भला हुआ हो या नही, लेकिन सत्यानाश जरूर हुआ है। इन बीते वर्षो मे शहर मे गरीबी बढ़ी है, घटी नही, बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि आर्थिक तंगी को लेकर आत्महत्या के मामले बढते ही जा रहे हैं। इन योजनाओ को लागू होने के पहले ही हमे इन पर रोक लगानी होगी, उनमे शहर के गरीब वर्ग के लिए भी स्थान सुनिश्चित करना होगा। हमने अध्ययन के जरीये यह जानने की कोशिश की है कि, वो क्या कारण थे जिसके वजह से शहर मे गरीब तबके की बढ़ोतरी हुई और भविष्य मे और कौन सी परेशनियाँ आ सकती है।

शोध प्रविधि

टास्क फोर्स का गठन

सबसे पहले गरीब बस्तियों में रहने वाले कुछ साथियों के साथ इस नए काम के उपर विचार विमर्श किया इनमें से ज्यादातर मजदूरी, कबाड़ी का धंधा, फेरी लगाकर समान बेचना जैसे कार्यो में संलग्न है। पूरे शोध के दौरान जिस समूह ने महत्वपूर्ण सहयोग किया वहः

1) बस्ती में रहने वाले कार्यकर्ता
2) समाजकार्य महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी
3) शहर के कुछ बुद्धिजीवी
4) खतरा केन्द्र नई दिल्ली के कार्यकर्ता

जानकारी संग्रह

सेकेण्डरी डाटा

- इन्दौर विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर महाविद्यालय,
- कानून एवं प्रावधान
- योजनाऐं एवं नितियां
- मध्यप्रदेश राज्य पत्र
- अखबार की कटिंग,
- पुरानी विकास योजना के दस्तावेज

प्रायमरी डाटा

- सब्जी एवं फल विक्रेता, कबाड़ी, टेम्पो चालक एवं फेरी वाले के साक्षात्कार

- वर्तमान स्थिति एवं योजनाओं पर राय जानने के लिए शहर के प्रबुद्धवर्ग का साक्षात्कार
- प्रशासनिक अधिकारीयों से विचार–विमर्श

खतरा केन्द्र के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशालाओं में लगातार शोध प्रक्रिया पर बातचीत, सतत् सम्पर्क रख शोध की प्रगति की जानकारी दी जाती रही।

नक्शा बनाना

चिन्हित वर्गो को इन्दौर के नक्शे पर दर्शाकर उनकी वर्तमान जगह को दिखाना। शहर में इनके फेलाव व शहर की जरूरत के हिसाब से इनकी बसाहट को बताना जरूरी था।

शहर में इस वर्ग की सही स्थिति को जानने के लिए –

1) एक विस्तृत साक्षात्कार अनुसूचि को तैयार कर उसमें इनके वर्तमान रोजगार स्थल, निवास स्थल, परिवार की संख्या, धधें का स्वरूप, कब से कार्यरत, स्वास्थ्य, आय, शिक्षा, अधिकार, आने वाली योजनाओं पर इनके विचार आदि को शामिल किया गया ताकि उनकी वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया जा सकें।
2) अलग–अलग वर्ग के लिए अलग से अनुसूची बनाई गई।
3) नौ सर्वेकर्ता इस कार्य में लगे।
4) तय किए गए वर्गो के साक्षात्कार के लिए सर्वेकर्ताओं को उनकी क्षमता एवं पहूँच के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी गई।
5) इन्हें क्षेत्रों में बांटा गया ताकि पूरे शहर को इसमें शामिल किया जा सकें।
6) कुछ बस्तियों के पुराने कार्यकर्ताओं को सर्वे में उनकी इस वर्ग में गहरी पैठ होने के कारण लगाया ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें जो आम सर्वेकर्ता के लिए मुश्किल रहती है।

इनकी वर्तमान स्थिति के कारकों को ढुंढनें के लिए

इन्दौर एक बड़ा शहर है इसी लिए सभी का सर्वे करना मुश्किल था अतः हमनें सैम्पलिंग सर्वे के आधार पर संकेतों (कोडिंग पद्धति) का इस्तेमाल करके साक्षात्कार अनुसूचि तैयार की। हमारे समूह ने व्यक्तिगत साक्षात्कार लिए जिससे न सिर्फ अनुसूचि में पूछे गए सवालों (फिक्सड अल्टरनेटिव) के अलावा कुछ दुसरी जानकारीयां (ओपन एण्डड) भी हासिल हुई इसक अलावा समूह ने (सोशियो मैट्रीक पद्धति का इस्तेमाल कर) इस वर्ग से लगातार सम्पर्क बनाए रखा (उनके साथ बैठकर, खाना खाकर, सामान खरीदकर, बातचीत और दोस्ताना व्यवहार आदि) ताकि कुछ और नई जानकारियॉ मिल सकें।

श्रेणियों और वर्गो को तय करते वक्त ध्यान रखा गया कि पूरा शहर इस अध्ययन में शामिल हो पाए। हर वर्ग में से क्षेत्रवार, समूहों को चुनते हुए, उनमें से कुछ ऐसे लोगो का व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया, जिनकी जानकारी से पूरे समूह के बारे में पता चल सकें।

संकेतों के आधार पर पाए गए उत्तरों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर (Statistical Analysis) कर सारणीबद्ध (Tabulation) कर दर्शाया गया।

सीमाएँ

1) चूँकि सेम्पलिंग सर्वे किया गया था, इसलिए शहर का पूरा असंगठित वर्ग शामिल न होने के बावजूद भी शोध के लिए महत्वपूर्ण जानकारियॉ हासिल की गई।

2) वैधानिक एवं निश्चित जानकारीयाँ मिलना मुश्किल है, अतः ये जानकारियाँ सच के करीब मानी जा सकती है।

❑ ❑ ❑

इतिहास

इन्दौर शहर का इतिहास 400 साल पुराना है, यहॉ पहले परमार राज किया करते थे। 15वी सदी के अंत मे एक बस्ती ने सरस्वती नदी के किनारे रूप लेना शुरू किया ,जिसका नाम इन्द्रपुर था, अभी वर्तमान मे यह इलाका जूनी इन्दौर कहलाता है। ये तीर्थयात्रीयों के लिए आरामगाह बन गया था। उज्जैन, महेश्वर, मण्डलेश्वर मे पवित्र नर्मदा नदी मे स्नान करने के लिए जाने वाले लोग यहॉ ठहरा करते थे। मराठाओं के हाथों मे सत्ता आते ही कम्पेल के जमीदारों ने शहर से रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। सन 1741 मे इन जमीदारों ने शहर में प्रसिद्ध इन्द्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इन्दौर शहर को रानी अहिल्या बाई की **अहिल्या नगरी** के नाम से भी जाना जाता है।

परिचय

19वी शताब्दी के अंत तक उद्योगों के घर इन्दौर ने सफलता पूर्वक अनाज एवं अफीम के व्यापार से पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया था, जिससे की बाद में बहुत बडा कपडा उद्योग बना। इस कपडा उद्योग ने बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को आकर्षित किया, जो कि इन्दौर काम की तलाश में आए थे। इस मजदूर वर्ग ने इन्दौर की कपडा मिलों के सुनहरे काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किन्तु 20वीं शताब्दी के मध्य तक इस कपड़ा उद्योग का पतनशुरू हो गया और इस अनिश्चितता ने जन्म दिया एक असंगठित क्षेत्र को। इस प्रकार से जो शहर अनाज, अफीम और सूत के व्यापार से दौड़ रहा था, उसने रास्ता दिया मशरूम की तरह बड़ने वाली छोटी कारखाना ईकाईयों को। इस प्रक्रिया में जो परंपरागत उद्योग थे, उन्होंने फिर से खुद को पुर्नस्थापित और पुनः मजबूत किया। जल्द ही उदारवादी नीतियों की लहर और बहुराष्ट्रीय कंपनीयों द्वारा 'कुशलता पर आधारित कार्यो' का स्वागत किया गया। इसका ये असर हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में नियोजित क्षेत्र से अलग हुआ एक तबका बन गया, जिसमें अर्धकुशल एवं अकुशल मजदूर वर्ग था। आगे जाकर लेबर लॉ के उद्देशों की पूर्ति के लिए

सरकार द्वारा बड़े कारखानों को अधिगृहित करना शुरू किया, जिससे की मजदूरों के लिए उपठेकेदारी का चलन बढ़ गया। आने वाले वर्षों में इस उपठेकेदारी की वजह से मजदूरी के भाव बहुत हद तक गिर गए।

अनियोजित अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक महत्व

हस्तकरघा बुनाई, रंगाई एवं छपाई इन्दौर में सफल हो चुके थे। मुख्य उत्पादक थे पगडी, धोती और लुगड़ा साथ ही पट्टा बनाना भी। निवाड और कॉटन रस्सी, मिट्टी का काम (बिजली के आने, केरोसिन लेम्प, प्लास्टिक के खिलौने, पीतल के बर्तन और बीड़ी आदि ने पुराने समय के मिट्टी के सामानों का स्थान ले लिया। अब मुख्य रूप से वे मिट्टी के गमले, ईटें, और कबेलू बनाते थे।), घनी द्वारा बीजो से तेल निकालना, पत्तल दोना, बास्केट, चटाई और झाडू आदि बनाना, चुडियॉ बनाना, बढ़ई आदि भी शहरी अर्थव्यवस्था के हिस्से थे।

कपड़ा मिलों का आगमन

शहर के विकास में कपड़ा मिलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराज तुकोजीराव द्वितीय द्वारा 1871–72 में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई। महाराजा तुकोजीराव कपड़ा मार्केट प्रशासन और व्यपारीयों के बीच मजबूत तालमेल का एक जीवंत उदाहरण है। इन्दौर किसी जमाने में अफीम के व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र था, जिसकी कमान सीधे होल्कर राजाओं के हाथों में थी। 1911 की चीनी क्रांति के बाद इन्दौर के अफीम उद्योग के व्यापार एवं उत्पादन पर बुरा असर पड़ा, लेकिन तब तक इस कारोबार के जरिए शहर ने काफी पूँजी अर्जित कर ली थी। राज्य प्रशासन इन पैसों को किसी ओर व्यापार में लगाना चाहता था। कपड़ा उद्योग, होल्करों को पूँजी निवेश करने के लिए सबसे बेहतर लगा। भारत में बनाए जाना वाला सूत, इग्लैंड की कपड़ा मिलों के लिए जीवनदायी साँसों का काम करता था। वहाँ की मिले पूरी तरह से भारत से निर्यात सूत पर निर्भर थी। बहरहाल अंग्रेजी हुकूमत की यह योजना थी, कि

किसी भी तरह से भारत में कपड़ा मिल नही खुलना चाहिए। इन सारे मुश्किल हालातों के बावजूद भी महाराजा तुकोजीराव होल्कर II ने कपड़ा मिल खोलना तय कर लिया। काफी ना नुकर के बाद अंग्रेजी सरकार ने कपड़ा मिल खोलने की आज्ञा दे दी। उस दौरान मात्र एक दशक में पाँच कपड़ा मिलों की स्थापना हुई। राज्य द्वारा रियायत एवं प्रोत्साहन देने की वजह से 1909 में काफी कपड़ा मिले इन्दौर में चालू हुई। मुबंई की एक कपनी ने 2 दिसंबर 1909 में मालवा युनाइटेड मिल की स्थापना की। 1916 में हुकुमचंद मिल, 1921 में स्वदेशी कपड़ा मिल, 1923 में कल्याणमल मिल, 1924 में राजकुमार मिल, और 1925 में नंदालाल भंडारी मिल आदि। इस वक्त तक इन्दौर एक प्रमुख कपड़ा उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका था। इस उद्योग ने शहर में रोजगार एवं व्यापार को एक ऊँची उड़ान दी।

मजदूर सगंठन और आंदोलन

कपड़ा मिलो मे काम करने के दौरान हजारो की संख्या मे मजदूर वर्ग सगंठित होने लगा । यह एक इत्तफाक ही था कि जिस वर्ष 1926 मे भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट बना, उसी दौरान इन्दौर की कपडा मिलों के मजदूरों ने भी अपना एक संगठन बनाने की नींव रखी। उसी वर्ष मजदूर, बोनस और काम करने के घंटो को लेकर हड़ताल पर गये। ये हड़ताल 2 महिने से ज्यादा चली जिसमे 1300 मजदूर शमिल थे, जिनका बोनस मान लिया गया। हर हफ्ते 84 घंटे काम के बदले, 60 घंटे के कार्य की अनुमति मिल गई। लेकिन फिर से एक और हड़ताल वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते को लेकर की गई, इन्दौर में लगातार दूसरी हड़ताल की बात जब गांधीजी के कानो मे पहुॅची तो उन्होने गुलजारी लालजी नन्दा को कुछ हल निकालने के लिए भेजा। 1941 मे अहमदाबाद की मजदूर महाजन सभा की तर्ज पर इन्दौर मिल मजदूर संघ की स्थापना नन्दाजी के हाथों से की गई। इस संगठन के बन जाने से काफी हद तक मुश्किलों के हल निकालने मे सहायता मिलने लगी।

मिलों के बंद होने के कारण

महाराजा तुकोजीराव होल्कर ने पहली टेक्स–टाईल मिल को मिले प्रोत्साहन को देखते हुए, सन् 1883 में 8लाख की लागत से दूसरी राजकीय मील की स्थापना की। लेकिन 1897 में मिल को बहुत भयानक आग का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मिल आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुई और 7 सालों तक के लिए इसे बंद करना पड़ा। सन् 1902 में 50,000 की लागत पर एक जिनिंग फेक्ट्री की स्थापना की गई, लेकिन पुरानी मशीनों और असफल नियोजन के कारण ये मिले लगातार घाटे में जाने लगी। तब महाराजा ने फेक्ट्री और पुरानी मिल को ठेके पर देने का फैसला किया। 1903 में फेक्ट्री एवं नई व पुरानी दोनो मिलो को 30,500 और 36,500रु में लीज पर दे दिया। किंतु आने वाले सालों में सूत व्यापारियों को भारी नुकसान ही होता रहा, जिसके कारण ठेकेदार लीज का पैसा देने के काबिल भी न रहे। अब महाराजा के पास दो रास्ते ही बचे थे, या तो मिलों को बंद कर दे या फिर लीज की राशी में रियायत दे। महाराजा ने मजदूरों, व्यापारीयों एवं ठेकेदारों आदि को देखते हुए मिलों को चालू रखना ही सही समझा। शासन ने अब ठेकेदारों से लीज का पैसा लेने के बजाय केवल कुल लाभ का 40% लेना तय किया, इसके साथ कई और रियायते भी दी गई।

वरिष्ठ ट्रेड़ यूनियन लीड़र एवं कामरेड़ वसंत शिंत्रे

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्दौर की कपड़ा मिलों ने बड़ी तादाद में मुनाफा अर्जित किया, उस दौरान मशीने लगातार चली उनके रखरखाव पर कोई ध्यान नही दिया गया। जिसकी वजह से बाद में उत्पादन में काफी गिरावट आई। कमोबेश यह स्थिति पूरे भारत वर्श में कपड़ा मिलों की थी। इनकी दयनीय हालत को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने एन.टी.सी. (नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन) की स्थापना कर पूरे देश की 126 कपड़ा मिलों को उसमें मिला लिया। इन मिलों को एन.टी.सी. में शामिल करने के पीछे सरकार की मंशा ज्यादा उत्पादन और भरपूर रोजगार देने की थी (सरकार ने जितनी भी मिलों को टेकओवर किया था वे सारी की सारी बीमार मिले थी और

गहरे घाटे में थी)।सरकार ने इन कपड़ों को बेचने के लिए कंट्रोल दुकाने (फेयर प्राइस शॉप) खोली, जिसमें बहुत ही कम कीमत में कपड़ा मिलता था, इसके कारण मुनाफे का स्तर लगातार गिरने लगा, जबकि उत्पादन में कोई रियायत नही थी। सरकार ने अपनी ट्रेक्सटाईल पॉलिसी में हेन्ड़लुम और पॉवरलुम इकाईयों को बहुत ज्यादा रियायत दे दी थी, जिसकी वजह से इनका उत्पादन मूल्य, कपड़ा मिलों के उत्पादन मूल्य की तुलना में काफी कम था। इस कारण से भी कपड़ा मिलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। एन.टी.सी. के अधीन मिलों को चलाने के लिए सरकार ने रिटायर फौजियों को नियुक्त किया था,जो कि इस क्षेत्र में पूरी तरह से अकुशल एवं अनभिज्ञ थे, इन्हें अपने मातहतों के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता था, अर्थात निर्भर रहना पड़ता था। इस वजह से भ्रश्टाचार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। आधुनिकीकरण के साथ–साथ लोगो में कृत्रिम धागों से निर्मित कपड़ों को पहनने का चलन बढ़ा, जो अपेक्षाकृत सूती कपड़े से सस्ता था। इसकी वजह से कपड़ा उद्योग पर गहरा असर पड़ा। इसी दौरान राज्य में कॉंग्रेस का प्रशासन था, कॉंग्रेस ने अपने ही एक हिस्से को लेकर मिलों में मजदूरों की यूनियन **'इन्टक'** का गठन किया। चूँकि यह यूनियन सरकार की तरफ से थी इसलिए बाकी यूनियनों का महत्व खत्म–सा हो गया था। धीरे–धीरे मजदूरों को लगने लगा कि इन्टक पूरी तरह से मालिक परस्त है,तो मजदूरों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मालिकों और मजदूरों के बीच ऐसी कोइ कड़ी नही थी,जो समझोते की गुंजाईश बनाती। इन्टक के मजदूर बिना कार्य किये अपना वेतन लेते थे, जब ये बात अन्य मजदूरों को पता चली तो उन्होंने भी काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वर्किंग कल्चर पूरी तरह से बरबाद हो गया, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ा। उस दौरान मिलों में लूमशेड़ महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था, एक मजदूर दो लूमों को संचालित करता था। बाद में मालिकों ने एक मजदूर से चार लूमों को संचालित करने को कहा, जिसका मजदूरों ने जमकर विरोध किया, क्योंकि इससे उन्हें छटनी का ड़र लग रहा था। टेक्नॉलॉजी ग्रोथ को सही तरीके से न समझने की वजह से मालिकों और मजदूरों के बीच एक गहरी खाई बन गई। चूँकि मिले सरकार के द्वारा संचालित की जा रही थी, इसलिए लोगो ने काम के प्रति लापरवाही बरतना शुरू कर दी, मैनेजमेंट विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया। सूत खरीदने में, और अन्य खरीदारियों में कमीशन जुगाडने की शुरूआत हो गई।

हुकुमचंद मिल जो उस वक्त सबसे ठीक स्थिति में था, उसके मालिकों ने अपनी एक दूसरी ईकाई का पूरा खर्चा, मिल के खर्चो में शामिल कर लिया जो कि

मिल मैनेजमेंट के लिए एक अतिरिक्त बोझ था। बाद में सरकार की मंशा फिर से इन मिलों को चलाने की थी लेकिन मालिकों ने कोई रूचि नही दिखाई। इस वक्त तक ये सारी मिले शहर के विस्तार के साथ शहर के मध्य में आ चुकी थी और जमीनों के दाम आसमान छुने लगे थे। होल्करों द्वारा इन मिलों को स्थापित करने के लिए जमीन दान में दी गई थी ,लेकिन आज मालिकों की नियत में खोट आ गई है। इन मिलों का कम से कम क्षेत्रफल 60–70 एकड़ होगा जिसकी कीमत वर्तमान में करोड़ो में होगी।

इन्दौर के व्यापारी परिवार

मालवा के आकर्षण के कारण कई रईसों ने इन्दौर में व्यवसाय शुरू किया, उनमें सबसे प्रमुख थे, सेठ हुकुमचंद, जिनके पिताजी ने माणकचंद मनिग्राम फर्म की शुरूआत की। जिसको की बाद में सेठ हुकुमचंद ने इन्दौर, उज्जैन, मुबंई और कलकत्ता में फैलाया। इनके अलावा सेठ रामप्रतापजी, शिवाजीराम सालीग्राम, विनोदीराम बालचंद जी, बलदेवदास गोरखराम आदि ने भी इन्दौर में अपना व्यापार शुरू किया और चारो तरफ फैलाया। इन्दौर में व्यापार–व्यवसाय को बढावा देने के लिए कई साहूकार थे, जो लोन और ब्याज पर पैसा देते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे कीबे परिवार जिनके बारें में किवदंती थी कि **'होल्कर का राज और कीबे का ब्याज कभी खत्म नही होगा।'** गरीब मजदूर व किसानों को ये साहूकार अत्यधिक ब्याज दर पर पैसा देते थे और इन्हें बंधुआ मजदूर भी बना लेते थे।

असंगठित क्षेत्र का बढ़ना

कपड़ा उघोग ने बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को आकर्षित किया, जो कि इन्दौर काम की तलाश में आए थे। इस मजदूर वर्ग ने इन्दौर की कपड़ा मिलों के सुनहरे काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किंतु आधी शताब्दी तक इस कपड़ा उद्योग का पतन शुरू हो गया और इस अनिश्चितता ने जन्म दिया एक **'असंगठित क्षेत्र'** को। इस प्रकार से जो शहर अनाज, अफीम और सूत के व्यापार

से दौड़ रहा था, उसने रास्ता दिया मशरूम की तरह बड़ने वाली छोटी कारखाना ईकाईयों को।

इस प्रक्रिया में परम्परागत उद्योगों ने खुद को पुर्नस्थापित और मजबूत किया। जल्द ही उदारवादी नीतियों की लहर और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 'कुशलता' पर आधारित कार्यो का स्वागत किया गया। इसका असर ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में नियोजित क्षेत्र *(Formal Sector)* से अलग हुआ एक तबका बन गया, जिसमें अर्धकुशल एवं अकुशल मजदूर वर्ग था। इन्दौर की 'हुकुमचंद कपड़ा मिल' इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक समय यह म.प्र. की सर्वश्रेष्ठ मिलों में से एक थी। हुकुमचंद मिल एकदम से 12 दिसंबर 1991 को बंद हो गई। जिसके कारण 6,000 मजदूर जो कि पिछले 60 महीनों से भूख के कारण मरणासन्न स्थिति में थे, इनमें से 43 मजदूरों ने अपनी दयनीय स्थिति से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, और इन्हीं में से 500 मजदूर अपने परिवार और स्वयं के लिए दो जून रोटी का बंदोबस्त करते–करते अपनी जिदंगी से हाथ धो बैठे। बाकी मजदूर जो कि किसी तरह खुद को बचा पाए, वे अत्यंत ही बुरी स्थिति में कुछ छोटी–मोटी दुकाने खोलकर और कुछ रोजगार की तलाश में अपना जीवन–यापन कर रहे है। इस सब का अंतिम आघात इन मजदूरों के बच्चों पर पड़ा, जिन्हें बाध्य होकर पढ़ाई को छोड मजदूरी में लगना पड़ा।

अनियोजित क्षेत्र का वर्तमान ढाँचा

इन्दौर में कई तरह के फेरीवाले मिलते है, इनमें से ज्यादातर कुछ समय पहले ही आजीविका की तलाश में यहाँ आए है –ये सभी या तो कुछ बेचने या फिर लोगों के घरों तक सेवाएँ देने में लगे है। इनमें से ज्यादातर फेरीवालों ने इंदौर की अमीर एवं विकसीत कालोनियों को चुना और बाकियों ने झुग्गी बस्तियों,एवं गरीब मध्यम वर्गीय को।बेचने वाले वर्ग में वो लोग आते थे, जो कि साडी, चादरे, सुटकेस, प्लास्टिक का घरेलु सामान जैसे मग, टब, बाल्टियाँ आदि बेचते है। ये

लोग ज्यादातर साईकिल, ठेला या पैदल ही गलियों में चिल्लाकर (आवाज लगाकर) सामान बेचते है। ये लोग चलती फिरती नर्सरी भी है, जो कि गुलाब और सजावटी पौधे बेचते है, अधिकतर ये किसी बडी नर्सरी से जुडे रहते है। अन्य है– अटाले वाले जो कि उपयोग किया हुआ सामान घरों से खरीदते है। यह व्यवसाय ज्यादातार मौसमी है, दीपावली (अक्टू–नवं)बहुत ज्यादा तेजी का मौसम रहता है। इनकी दूसरी श्रेणी मे वो आते है, जिनके ग्राहक झुग्गी बस्ती वासी और मध्यम वर्गीय लोग है एवं ये वही सामान बेचते है, जो कि लोगों की जरूरत, पसंद, खरीदने की क्षमता के अनुकूल हो। वे बेचते है, पुराने कपड़े, फ्राक,शर्ट, गाऊन आदि साथ ही ये लोग दाम किश्तों में लेने को भी तैयार रहते है। **'हर माल 2 रू'**में काँच, कंघा, साबुनदानी, कप, ब्रश आदि लेकर ये गलियों में चिल्लाते रहते है। इनमें वे भी आते है, जो कम कीमत में गहने, अगूँठी और चेन आदि भी बेचते है। कुछ फेरीवाले ऐसे भी है जो खाने का सामान बेचते है, जैसे मूंगफली वाले, गुड पटटी, फल एवं सब्जी, दही और छाछ, चाट के ठेलेवाले। बच्चे जिनकी उम्र 5–12 वर्ष है, आसानी से शहर के मध्य, पार्क में और शादियों में गुब्बारे और कागज के खिलौने बेचते दिखाई दे जाते है। ये घरो से चलने वाले खिलौना उद्योग से जुडे रहते है।

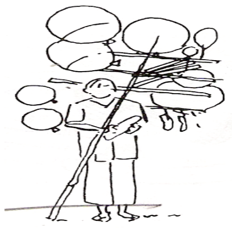

छोटी–मोटी दुकान चलाने वाले

'हार्कस मुक्त क्षेत्र' और **'हॉकर हटाओं अभियान'** जैसी बातों के बीच छोटी–छोटी दुकाने सुसज्जित है जो कि, फुलों के गुलदस्तों, रूमालों, जड़ी बूटी, वेणी (महिलाओं के बालों में लगने वाली फूलों की लड़ी), छोटे बेग आदि की है और इन्दौर के सार्वजनिक स्थानों जैसे राजबाड़ा, छप्पन आदि पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इन सामान बेचने वालों और फेरीवालों के वर्ग में ज्यादातर महिलाओं का प्रभुत्व है, इन्होंने बड़ी दुकानों के मध्य या फुटपाथ पर

सुविधाजनक ऐसी जगहों का चयन कर लिया है, जो कि म्यूनिसिपल ऑफिसर की नजरों में न आए। कुछ केस में इन हार्कस महिलाओं को हफ्ता एवं रिश्वत लेने वालों के साथ सोना भी पड़ता है (शहरी गरीबी पर शोध, ऑक्सफेम 1999)। युवा वर्ग बेल्ट, रूमाल, चश्मा आदि एवं कम कीमत वाला फर्निचर जैसे–स्टूल, छोटी टेबल, रेक जो कि पुरानी बेकार लकड़ियों से बना होता है आदि बेचता है।

कुशलता पर आधारित कार्य

आजीविका को चलाने के लिए लोगो ने अपनी क्षमताओं मे विकास करके संगीतकार, कलाकार, कुम्हार, पुतईयाँ, मैकेनिक आदि काम शुरू किए। यहाँ होर्डिंग पेंटर, मोची, बढ़ई, बेड मास्टर आदि भी है। इन्दौर में हजारों बैंड पार्टिया है, जो कि पारम्पारिक बारात और शामिया को कायम रखे है, जिसे की एक बैंड पार्टी चलाती है। हर एक बैंड पार्टी में 3–4 अच्छे संगीतकार होते है और बाकी सहयोगी स्टॉफ जो कि दैनिक मजदूर होते है। बैंड–पार्टी के साथ ढोलक मास्टर भी है,जिनकी शादी के समय बहुत माँग रहती है। किन्तु यह मौसमी व्यवसाय है, और पैसे भी कम मिलते है। साईकिल सुधारने की दुकान और गेरेज,एक ट्रेनिंग स्कूल भी है, जहाँ 6–12 साल के लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटे लड़कों के लिए, जूता पालिश एक दूसरा बड़ा धंधा है जो कि ज्यादातर बस स्टेण्ड और रेलवे स्टेशनों पर देखे जाते है। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मी, धोबी और कचना उठाने वाले है जो कि अपने पैतृक धंधे को आगे बड़ा रहे है। इसके अलावा दूसरे जैसे नाई की दुकान, चाय की दुकान, पिंजारा (रजाई गदद् बनाने वाले), अवैध शराब बेचना (कुत्ता छाप), और अडां, आमलेट सेंडविच ठेले की दुकान आदि। कुछ खटीक समुदाय के लोग सुअरों को पालने एवं उनके बाल खीचने का काम करते है। धोबी परिवार मुख्यतः खान और सरस्वती नदी के आस–पास रहते है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग लोकल

ट्रांसपोर्ट सुविधा जैसे–ठेला, टेम्पो, रिक्शा, मिनी बस आदि चलाने के कार्यो में लगे है।

निम्न मध्यमवर्गीय लोगों का रोजगार एवं व्यवसाय

बचा हुआ मध्यम वर्ग सेंडविच के समान है, समाज के अमीर और गरीब वर्ग के बीच में। ये लोग पढे लिखे होने के बावजूद भी एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने में असमर्थ रहते है। इन लोगों की इस स्थिति के कारण इनकी जिविका के साधन सीमित है। अतः ये अपनी क्षमता अनुसार धंधे जैसे दर्शनीय स्थलों पर फोटोग्राफी, इलेक्ट्रिशियन, समाचार पत्र बाँटने वाले लड़के, चपरासी, ओपरेटर (सिनेमा हाल) छोटे हार्ड़वेयर की दुकान आदि चुनते है। कुछ दक्षता वाले कार्यो जैसे गार्डन कुर्सी और ब्रश बनाना,पाईप फिटिंग,जबकि अन्य ऑटो रिक्शा ड्राईवर, दूधवाले, अगरबत्ती और चाँक बनाने वाले, चप्पल की दुकान आदि कार्यो में लगे है।

अध्ययन :– *हम लोगो ने शहरी अनियोजित वर्ग के बारे मे करीब से जानकारी हासिल करने के लिए कुछ समूह पर अध्ययन कर कुछ महत्वपूर्ण जानकारीयॉ हासिल की है,जिसमे फल–सब्जी विक्रेता, टेम्पोचालक, कबाडी का घंघा करने वाले, भवन निर्माण मे लगे मजदूर,कचरा बिनने वाले आदि है। विगत कुछ वर्षो में देखने में आया है,कि सरकार और प्रशासन शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ बनाता है। इसका अच्छा या बुरा असर इन रोज कुऑ खोद कर पानी पीने वालो पर किस तरह होता है,इस अध्ययन के माध्यम से जानने की कोशिश की है।*

❑ ❑ ❑

फल एवं सब्जी विक्रेता

सब्जी एवं फल बेचने वाले गलियों में, चौराहों पर, सड़को के किनारे आसानी से उपलब्ध हो जाते है, लेकिन भविष्य में शायद ये लोग हमे ये सेवाएँ नही दे पाएगे। सड़कों के चौड़ीकरण, पुलों एवं फलायओवरों के निर्माण, मॉलों के निर्माण एवं जमीनों के भाव में एकदम से उछाल आ जाने की वजह से इन गरीबों को इनके वर्तमान रोजगार स्थल से बेदखल कर इनकी रोजी–रोटी छिनने के प्रयास किए जा रहे है।

शहर में कई स्थानों पर बड़ी संख्या में ये लोग सब्जी या फल बेचते हुए आपको मिल जाएगे जैसे कि :–

1) नंदलालपुरा
2) पंढ़रीनाथ
3) अन्नपूर्णा रोड़
4) जिंसी हाट मैदान
5) सिंधी कालोनी
6) कलेक्टर ऑफिस
7) पिपल्याहाना चौराहा
8) इतवारिया बाजार
9) चोइथराम मण्डी
10) फूटी कोठी
11) भवँरकुआ चौराहा
12) पलाासिया चौराहा
13) विजयनगर

14) रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड

15) एम.वाय. हास्पिटल के सामने आदि स्थानों पर मिल जाते है।

इनके ऊपर किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि इस कार्य में महिलाओं का प्रतिशत लगभग पुरूषों के समान है।

टेबल 1.1: महिला एवं पुरूषों का अनुपात

	पुरूष	महिला	कुल
संख्या	130	120	250
%	52	48	100

शिक्षा के मामले में महिलाएँ पुरूष के मुकाबले ज्यादा अशिक्षित पाई गई।

टेबल 1.2: शिक्षा का अनुपात

	अशिक्षित	पढने–लिखने वाले	प्राथमिक	मिडिल	माध्यमिक	कुल
पुरूष	42	14	28	33	13	130
महिला	85	25	6	3	1	120
कुल	127	39	34	36	14	250

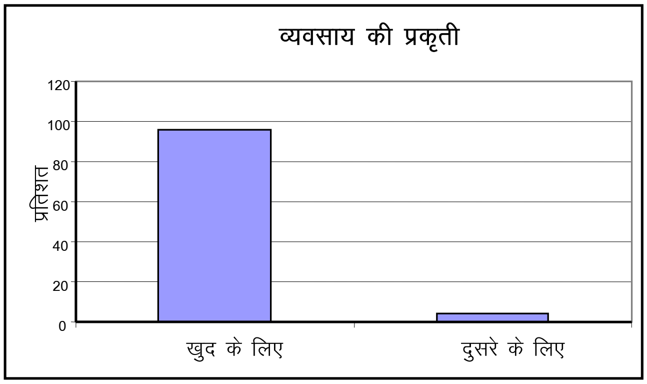

तकरीबन 95.6% लोग खुद के लिए धंधा करते है।, और 4.4% किसी अन्य का सामान बेचते है।

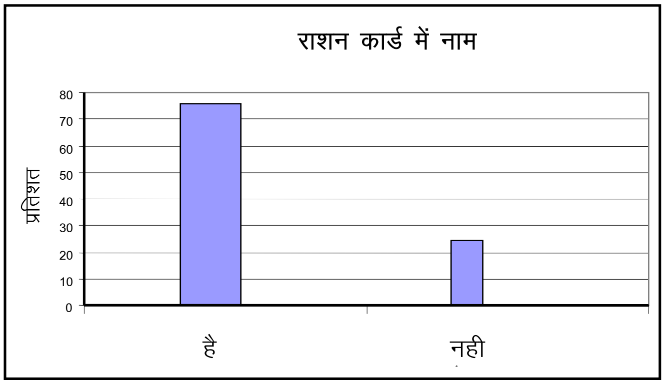

75.6% लोगों के पास सामान्य राशन कार्ड है।

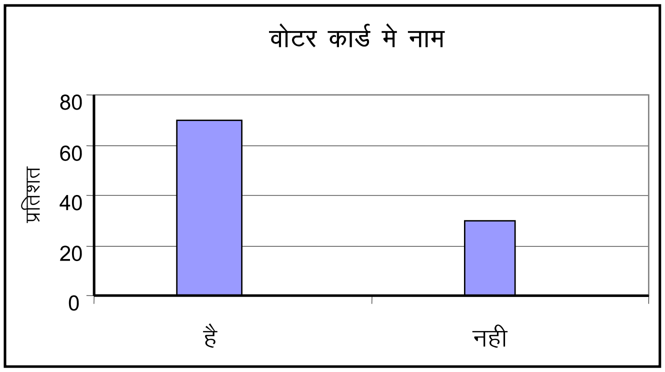

70% लागो के वोटर लिस्ट में नाम है।

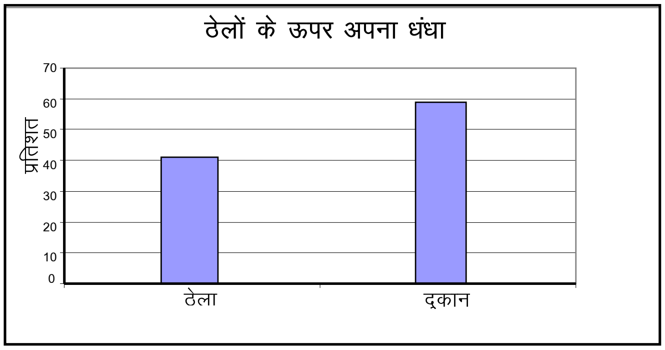

41.2% के लगभग ठेलों के ऊपर अपना धंधा चलाते और, कोई 59% छोटी दुकाने लगाते है।

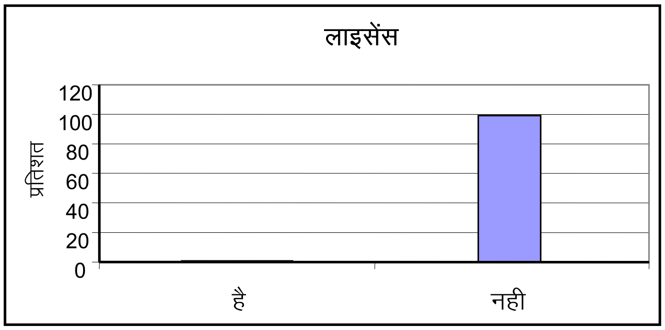

99.2% हॉकर किसी भी तरह का लाइसेंस न होने की बात स्वीकारते है।

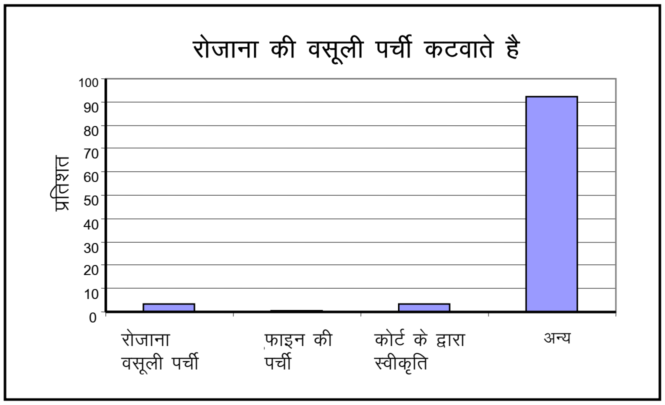

4% लोग रोजाना की वसूली पर्ची कटवाते है और 3.6% लोग कोर्ट के द्वारा स्वीकृति का कहते है।

तकरीबन 45.6% लोग पाँच वर्षो से ज्यादा समय से इस धंधे में है, इनकी जिविका का एक मात्र साधन ये धंधा ही है।

टेबल 1.3: कितने वर्षो से धंधा करने का अनुपात

वर्षो में	1वर्ष से	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	5 वर्ष	5 वर्षो से ज्यादा	कुल
संख्या	10	15	65	46	114	250
%	4	6	26	18.4	45.6	100

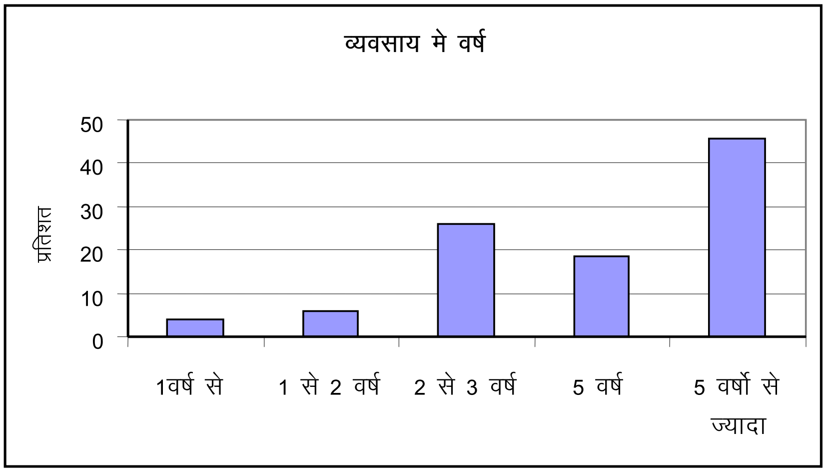

वे लोग जो छोटी दुकाने लगाते है,या ठेले पर अपना धंधा करते है, वे लोग धंधे के बाद सामान को अपने घर पर ही रखते है, 37.6% निजी गोदामों में या कमरे किराए पर लेकर अपना माल रखते है।

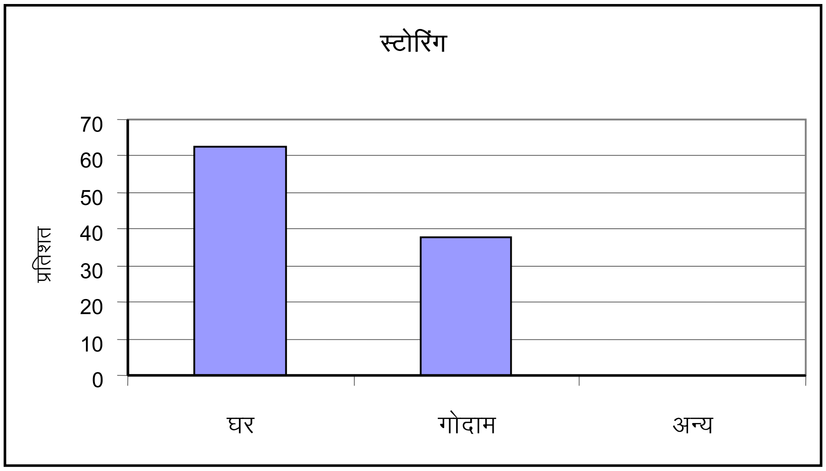

लगभग सभी लोग सुबह 5 से रात्रि 10 बजे तक अपने धंधे में संलग्न रहते है। (टेबल 1.4) चूँकि मण्डी में सही माल सुबह 5 से 6 बजे के दौरान ही मिलता है, इसलिए सुबह साढे तीन बजे मण्डी के लिए निकलना होता है। घर से मण्डी की दूरी काफी ज्यादा होती है।

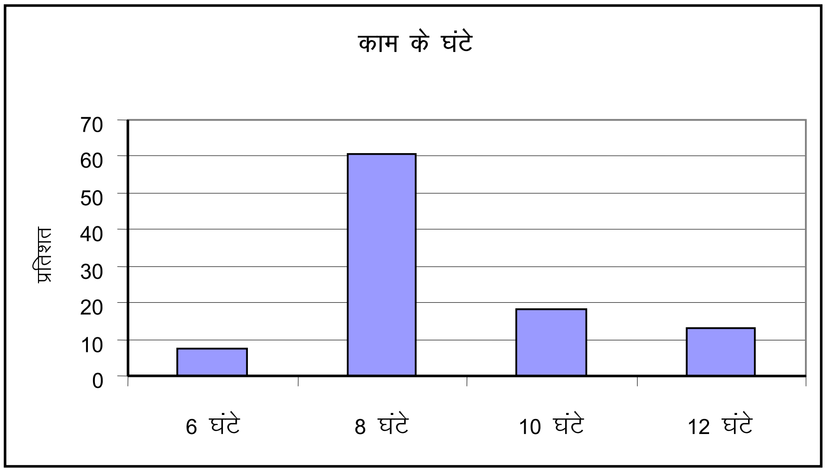

92.4% लोग 8 से 12 घंटे लगातार कार्य करते है। और पुरे सप्ताह काम करते है।

टेबल 1.4: समय–सारणी का अनुपात

	जल्द सुबह	सुबह	दोपहर के पहले	दोपहर के बाद	शाम को	पूरे दिन	कुल
संख्या	0	0		0	0	250	100
%	0	0	0	0	0	100	100

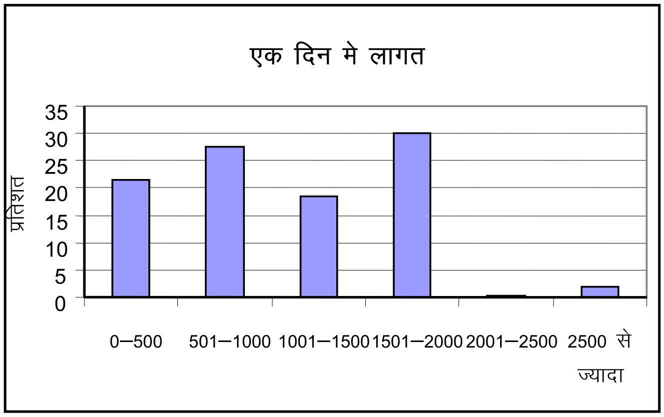

21.6% लोगों के पास एक वक्त में बेचने के लिए 500 या उससे कम का सामान होता है, 27.6% के पास 500 से 1000 के बीच होता है।

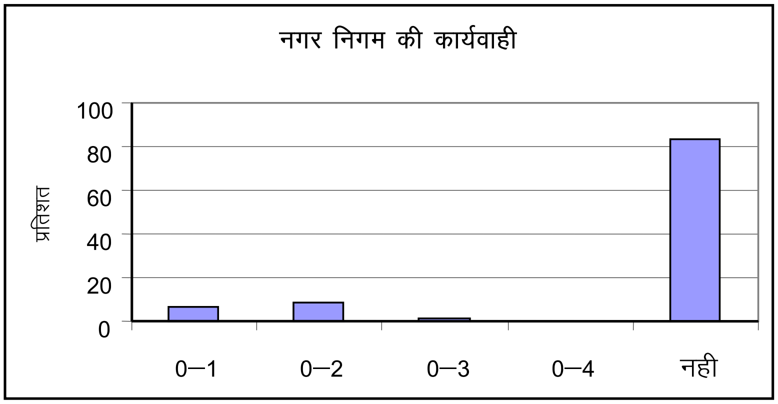

इन्दौर नगर निगम ने छोटी–मोटी वसूली के अलावा अभी कोई बड़ी कार्यवाही पिछले छः माह के दौरान नही की। इ.न.नि. के सूत्रों से ज्ञात हुआ है, कि थोडे समय बाद एक बड़ी मुहिम इन लोगों को खदेड़ने के लिए चलाई जाएगी। इ.न.नि. के अलावा पुलिस से भी इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

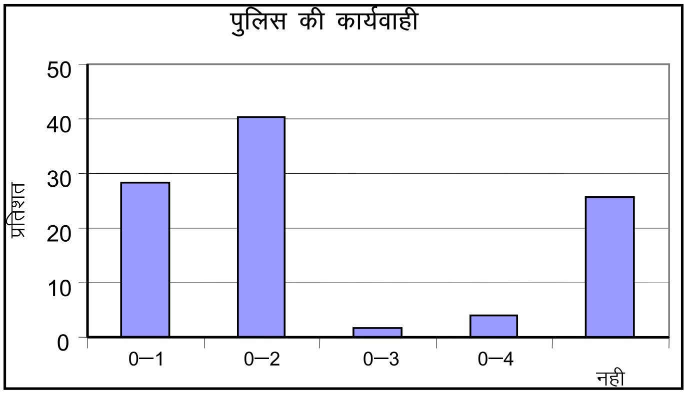

68.8% लोगों ने पिछले छः माह के दौरान एक या दो बार पुलिस कार्यवाही का सामना किया।

महज 8 साल की उम्र में पिता के साथ केले बेचने वाला अशोक सालवी निवासी रमा बाई नगर बताता है, कि उसने चार आने में केले बेचे है। उसके पिता कृष्णपुरा पूल के फुटपाथ पर केले की दुकान लगाया करते थे। अशोक 3री तक पढ़ा है। केले बेचते–बेचते अशोक को उम्र का पता ही नहीं चला आज उसकी उम्र 34वर्ष हैं। इस पूरे सफर में अशोक ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे। उसने दो बार अपनी बस्ती को अलग–अलग स्थानों से टूटते देखा है। 1990तक ये लोग हेमिल्टन रोड़ पर रहते थे, 1990 में वहाँ से हटाए जाने के बाद शेखर नगर में रहने लगे। 1994 में सौन्दर्यकरण एवं बाढ़ के नाम पर शेखर नगर से हटाकर शहर से बाहर एक सुनसान इलाके कनाडिया रोड पर बसा दियां। इन दो बार की अवैध बेदखली से इनका रोजगार बुरी तरह से चौपट हो गया। जब ये लोग शहर के मध्य में रहते थे तब इनका धंधा ठीक चलता था। लेकिन जब से ये लोग 15 कि.मी. दूर इस जगह पर आए है,तब से इनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। अशोक बताते है कि हमारे रोजगार खत्म होने का सबसे बड़ा कारण हमारी बस्तियों का विस्थापित होना है। इन विस्थापनों के दौरान हमारे पास जो भी धंधे की जमा पूँजी थी,, वो सारी नई जगह घर बनाने में लग गई हैं। अब जब यहाँ पर रहते हुए ग्यारह वर्ष हो चुके है हम लोगों ने अपने रोजगार को सही चलाने की लगातार कोशिश की है लेकिन जमा पूँजी न होने की वजह से धंधे में निरंतरता नहीं रह पाती है। अशोक ने बताया कि मैनें जैसे–तैसे कर्जा लेकर केले का ठेला लगाया था, लेकिन दो ढाई हजार रू. का माल पूरा का पूरा ही खराब हो गया था। अभी छह महीनें से अशोक कोइ काम धंधा नहीं कर पा रहा है ,उसका घर उसकी पत्नि चला रहीं है (घरों में पोछा, बर्तन एवं घर की साफ–सफाई करके) अशोक ने इस दौरान फुटपाथ पर माल बेचने वाले बड़े दुकानदारों के यहाँ भी रोजाना तनख्वाह के हिसाब से स्वेटर,,प्लास्टिक की चप्पले, बैंग आदि बेचने का काम भी किया, जिससे उसे आसानी से 100रू. रोजना मिल जाते थे। इस 100रू. के एव्ज में उसे सुबह 8बजे से रात्रि 11बजे तक काम करना होता था। लेकिन बीच में दो तीन दिन बीमारी की वजह से वह काम पर नहीं जा पाया और दुकानदार ने किसी और को रख लिया। पिछले छःमाह के दौरान इनके परिवार पर बीमारी व अन्य फाका परस्ती की वजह से 4000रु. के करीब कर्ज भी हो गया हैं। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी यह जिंदगी की परेशानियों से जूझते हुए जीने की कोशिश कर रहे हैं।

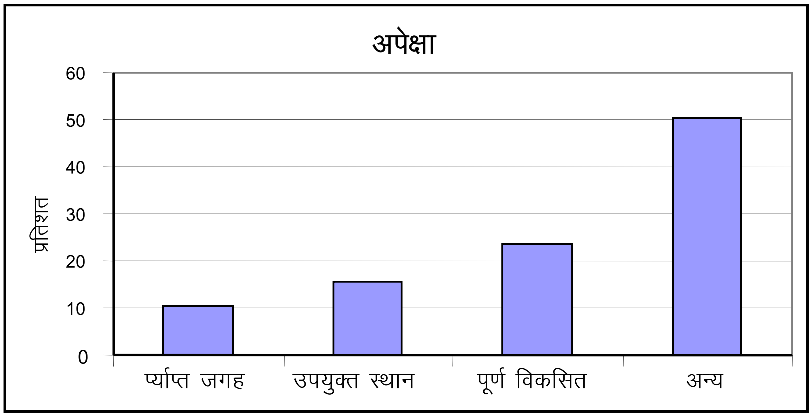

ये लोग बमुश्किल बारह से पद्रंह मीटर वर्ग जमीन का उपयोग कर अपना धंधा चलाते है। इनके वर्तमान धंधे की जगह को ये लोग किसी अन्य प्रस्तावित हार्कस जोन की अपेक्षा सुविधाजनक एवं धंधे के लिए उपयुक्त मानते है। अगर प्रस्तावित सब्जी मण्डियों में मजबूरीवश जाना भी पड़ा तो 11% लोगों का मानना है, कि पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए, 15% का मानना है कि स्थान धंधे के लिए उपयुक्त होना चाहिए, 24% का मानना है कि पूर्ण विकसित होना चाहिए, 50% ने किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आने वाले समय में कई सरकारी योजनाएँ ऐसी आ रही है ,जिसकी वजह से आपकी रोजी–रोटी छिनने का डर है, तो 57.2% लोगों का कहना था, कि विरोध करेगे और किसी भी सूरत में नही डरेगे, 29.2% का मानना है ,कि सरकार से बातचीत करेगे, 2% लोग कोर्ट में जाने की बात करते है और 9.6% के लगभग लोग गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों आदि की सहायता लेने की बात करते है।

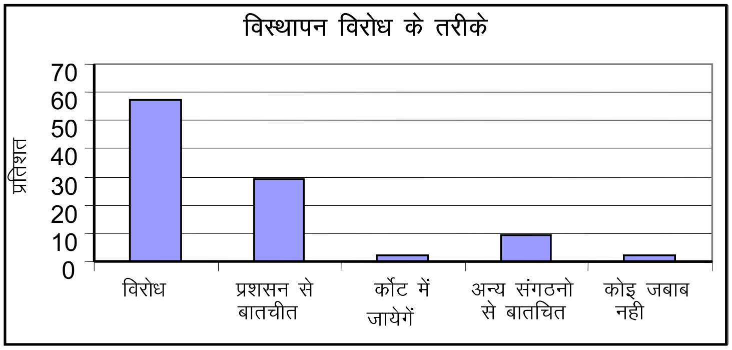

जब इन लोगों से यह पूछा गया कि अब तो बडे मॉलों में भी सब्जियाँ एवं फल बिकने लगे है, उसका आपके धंधे पर कितना असर हुआ है? 58.4% का मानना है, कि कोई फर्क नही पडने वाला, 13.6% असर की बात स्वीकारते है, 12.4% का मानना है कि महज एक आकर्षण है, 10% लोगों का मानना है कि यह मध्यम वर्गीय के लिए बहुत मंहगा है। 5.6% लोगों को इन शापिंग मॉलों की जानकारी ही नही है।

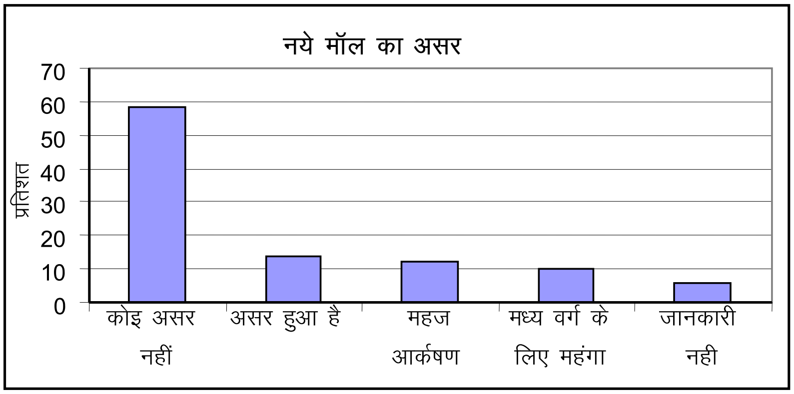

45.6% लोग 5 से ज्यादा वर्षो से ये धंधा चला रहे है, इनमें मुख्यतः निमाड एवं आदिवासी इलाकों (झाबुआ, अलीराजपुर, जोबट आदि) से आए हुए लोग है।

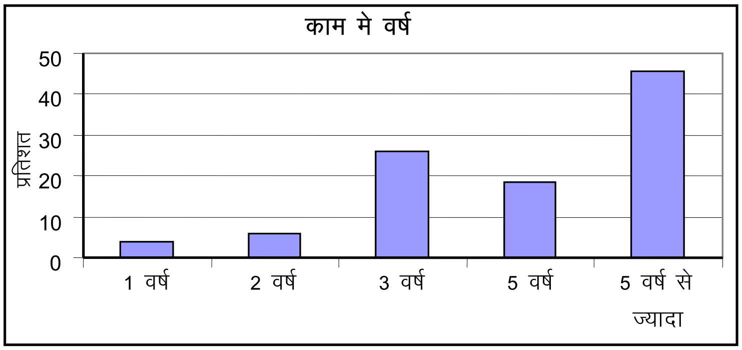

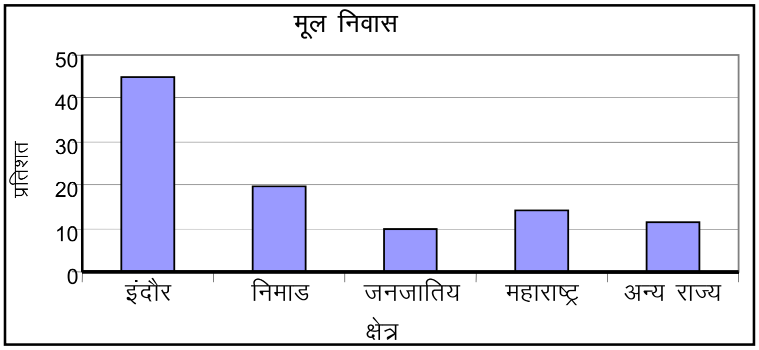

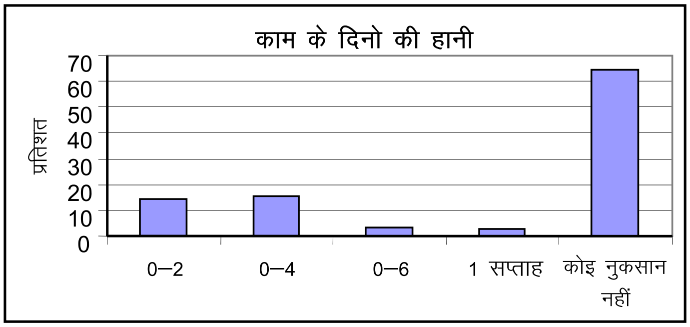

इ.न.नि. और पुलिस कार्यवाही में 35.6% लोगों के 2 दिन से एक सप्ताह तक व्यर्थ गए, जब्त किए हुए सामानों को फिर से हासिल करने और दण्ड भरने की प्रक्रिया में ही इनके दिन व्यर्थ चले जाते है।

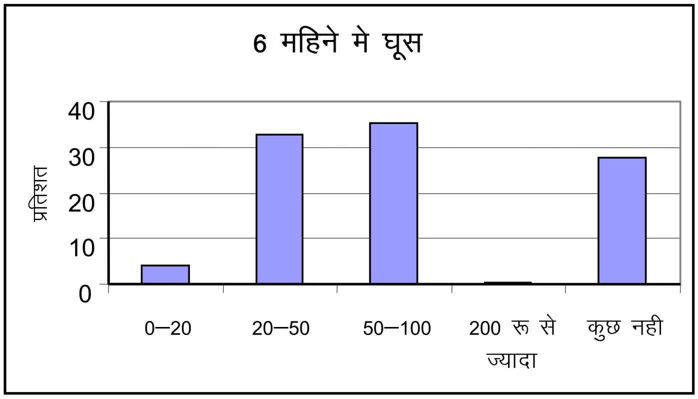

72.4% लोगों ने 200रू. तक की रिश्वत पिछले छः माह के दौरान दो या तीन बार दी है।

चुँकि अन्य असंगठित क्षेत्रों की तरह इनका भी कोई संगठन नही है, इसीलिए ये लोग पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज नही उठा पाते है। अचानक अगर कोई हटाने आता है तो मिलकर थोड़ा बहुत विरोध कर लेते है। पर चूंकि पहले से कुछ तय नहीं होने के कारण और आपस में संवादहीनता की वजह से विरोध ज्यादा देन टिक नहीं पाता।

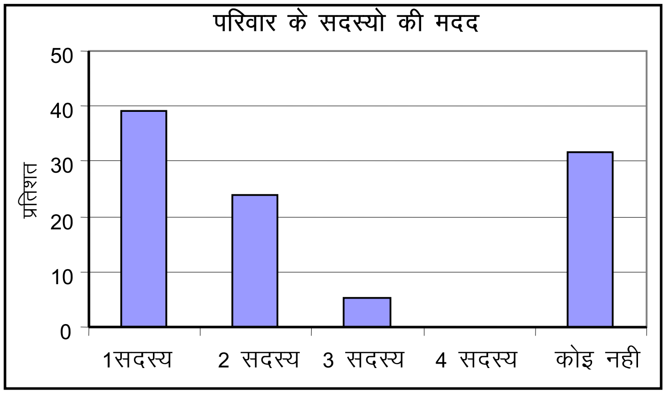

तकरीबन 68.4% ऐसे है जिनके एक से तीन पारिवारिक सदस्य, इस धंधे में सहायता करते है।

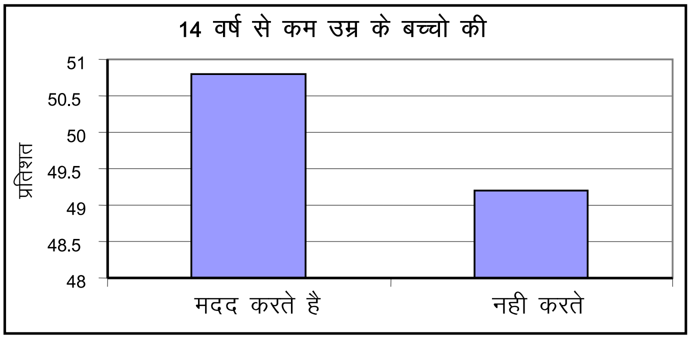

50.8% के यहाँ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य करते है।

35.4% आय लगभग 50 से 100 रू के मध्य और 32.4% की 100 से 150 के बीच होती है, जिसमें से इन्हें पुलिस एवं नगर निगम के कर्मचारियों को भी देना पड़ता है। ये लोग भी अन्य गरीबों की तरह कच्ची बस्तियों एवं झोपड़पटिटयों में रहते है, इन्हें भी अन्य गरीबों की तरह सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

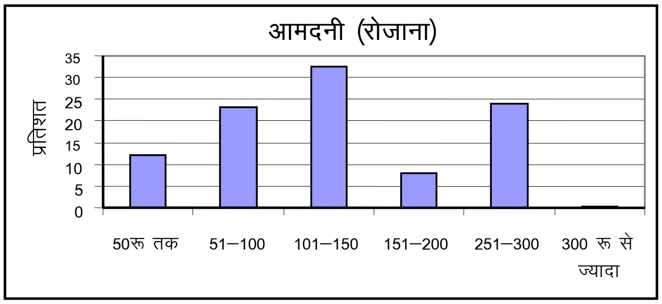

सुमन बाई काली और भागीरथ ने बताया कि एक बार जब उन्हे उनके फल बेचने के स्थान भवरकुऑ से हटाने के लिए पुलिस और नगरनिगम कर्मचारी आए थे तो पास ही स्थित कॉलोनियो मे रहने वाले परिवार ने उनकी कार्यवाही का जमकर विरोध किया था कालोनी के लोगो ने बडे से कागज पर हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन देकर प्रशासन को लिखा था कि हमारी दुकानो की वजह से उन्हे फल आदि खरीदने के लिए ज्यादा दूर नही जाना पडता है इनकी वजह से चौराहे पर देर रात तक चहल–पहल रहती है हमारे धर की महिलाए एंव बच्चे बिना किसी डर के आ –जा सकते है। हमे इनसे कोई परेशानी नही है उल्टे ये लोग तो हमारी सहायता के लिए यहा पर है । उनकी इस अपील के बाद प्रशासन को अपने कदम पीछे खीचने पडे थे।

❑ ❑ ❑

टेम्पो ड्राईवर

इंदौर शहर में करीब 550 टेम्पो चलते है, सभी टेम्पों चालक निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों से है, शत–प्रतिशत के पास वोटर लिस्ट और राशन कार्ड में नाम पाया गया। ज्यादातर टेम्पों सवारी बैठाने के काम में ही आते है।

टेबल 2.1: परमीट संख्या

	हॉ	नहीं	कुल
संख्या	51	1	52
प्रतिशत	98.07	1.92	100

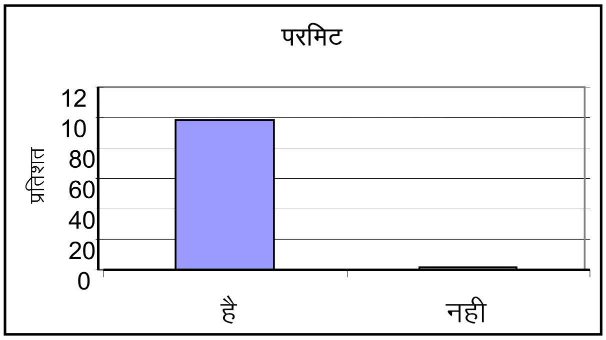

98% के पास अक्टूबर 2006 तक का परमिट है।

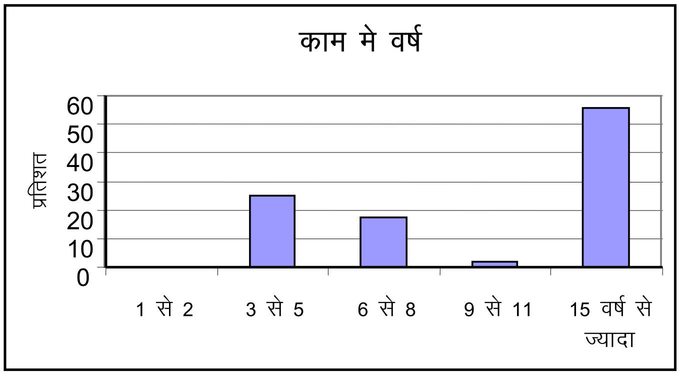

55.76% चालक 15 वर्षो से अधिक समय से यह कार्य कर रहे है।

टेबल 2.2: कितने वर्षो से धंधा कर रहे है।

वर्षो से	1 से 2	3 से 5	6 से 8	9 से 11	15 से ज्यादा	कुल
संख्या	0	13	9	1	29	52
प्रतिशत	0	25	17.30	1.92	55.76	100

यातायात विभाग द्वारा अब किसी भी तरह के परमिट का नविनीकरण नहीं किया जा रहा है, 71.15% के पास 1970 से परमिट है, 23.07% के पास 1980 से और बाकि बचे 5.8% के पास उसके बाद के है।

टेबल 2.3: किस वर्ष से परमिट है

वर्ष	1970 से	1980 से	1990 से	2000 से	कुल
संख्या	37	12	02	01	52
प्रतिशत	71.15	23.07	3.84	1.92	100

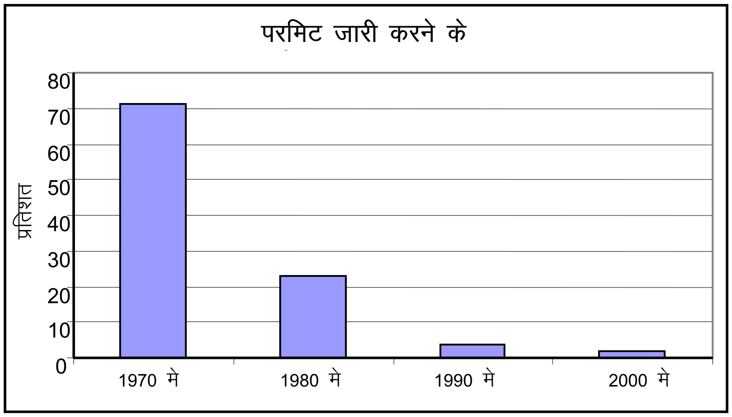

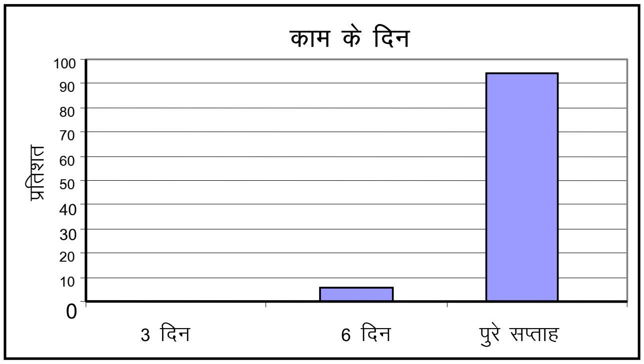

94% पूरे सप्ताह कार्य करते है बाकि बचे 6% रविवार के दिन छुट्टी करते है।

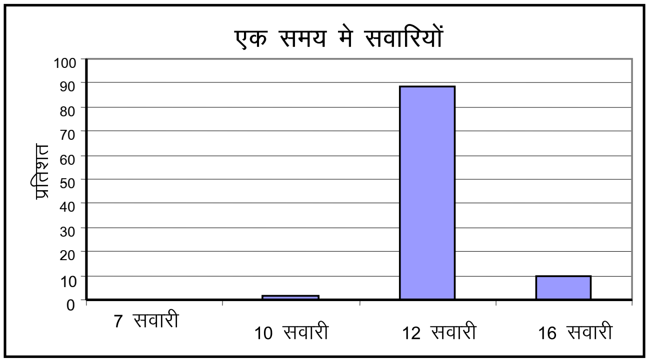

एक टेम्पों में एक समय में 12 सवारी बैठाने की बात 88.46% चालक स्वीकारते है, 9.62% चालक 16 सवारीयों की और 1.92% चालक 10 सवारीयों की। (जबकि हकीकत यह है कि हर टेम्पों में 16 सवारीयां बैठती है)

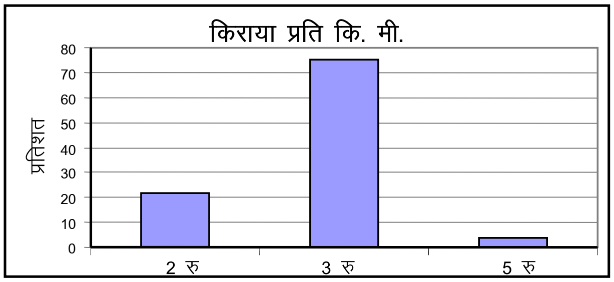

75% टेम्पों में 3 रूपयें प्रति किलोमिटर के हिसाब से किराया वसूला जाता है।

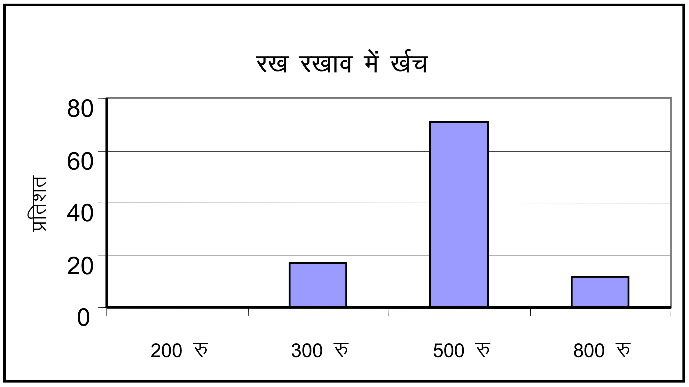

71.15% टेम्पों में रख–रखाव का खर्चा 500 रूपयें महीना आता है, 17.31% में 300 रूपया और 11.54% में 800 रूपयें तक। 94% टेम्पों कुछ पुराने पारम्परिक गैराजों पर ही अपनी गाड़ी ठीक कराते है, 6% खुद ही सुधार लेते है (कम्पनी वर्कशापों में रख–रखाव का खर्च ज्यादा होता है)।

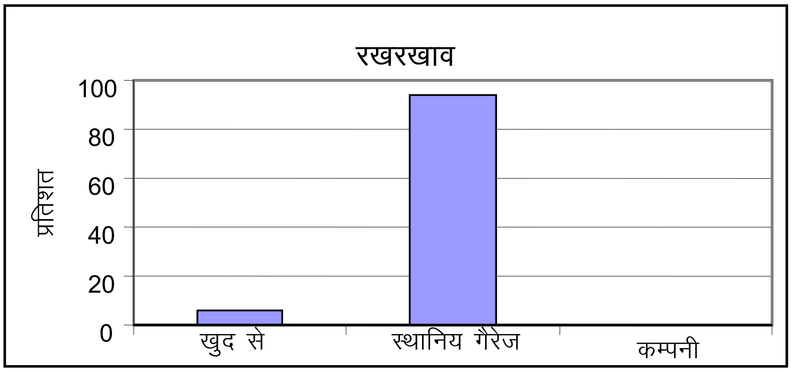

पिछले 6 महीनों में 3 बार तक पुलिस कार्यवाही झेल चुके है, यह लोग एक समय में पुलिस को 200 से 500 रूपये तक की रिश्वत देते है।

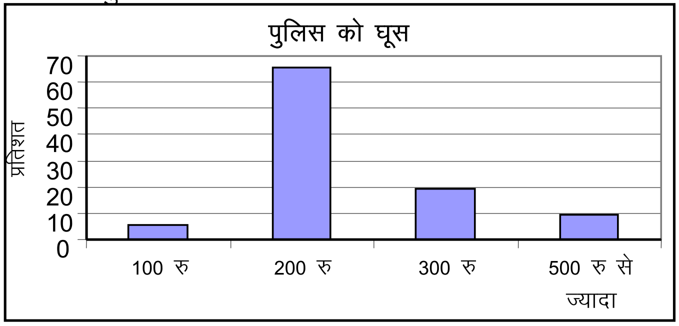

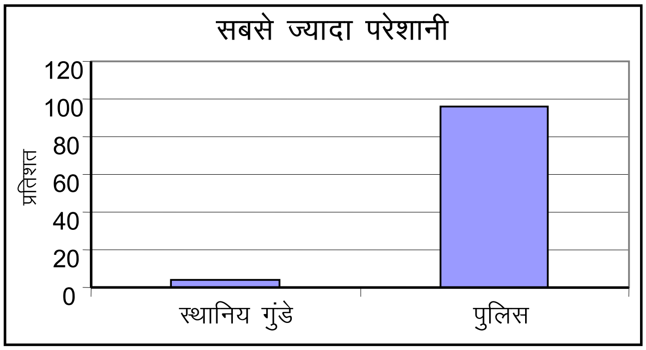

96% टेम्पों वालों को सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस से होती है।

बचे हुए 4 प्रतिशत स्थानीय गुंडों से परेशान है। इनके अनुसार पुलिस ने अपना एक वसूली स्टाफ बना रखा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन लोगो का एक मजबूत संगठन भी है, लेकिन संख्या में ज्यादा न होने की वजह से दबाव बनाने में परेशानीयां आती है। पिछले 6 महीनें पुलिस कार्यवाहीं की वजह से कई लोगो का पुरा सप्ताह तक व्यर्थ गया है।

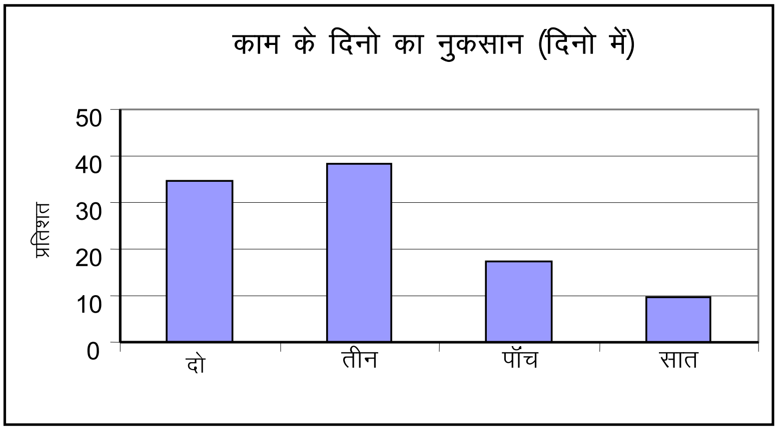

73% लोगो को बस रैपिड़, ट्रांसपोर्ट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) के बारे में पता ही नहीं है, वे तो केवल इतना जानते है कि जितनी भी योजनाएं प्रशासन बनाता है वे सब रईसों के लिए ही बनती है।

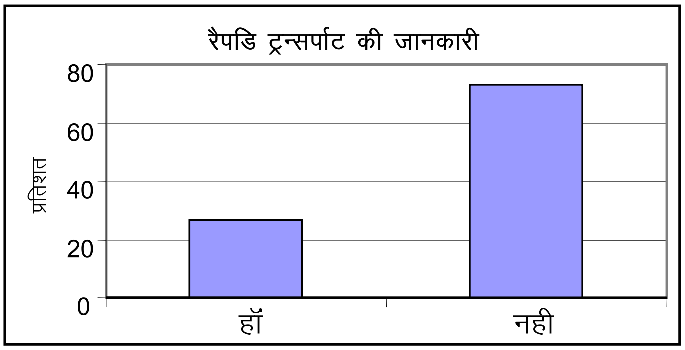

टेबल 2.4: योजनाओं पर राय का प्रतिशत

	गरीबों के लिए	अमिरों के लिए	बहुराष्ट्रीय कम्पनी	कुल
संख्या	3	48	1	52
प्रतिशत	5.76	92.30	1.92	100

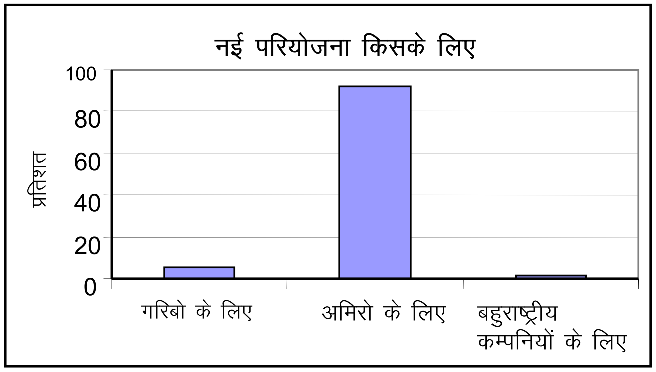

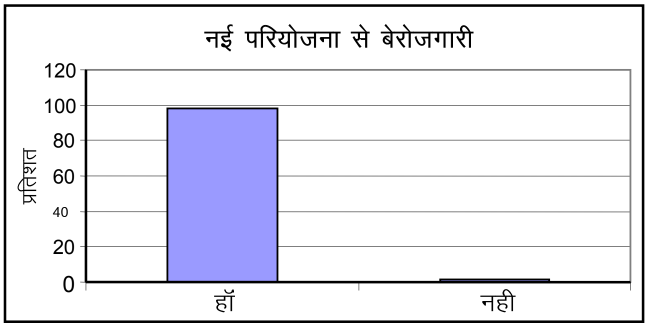

98% लोग टेम्पों बंद होने से बेरोजगारी बढ़ जाने की बात स्वीकारते है।

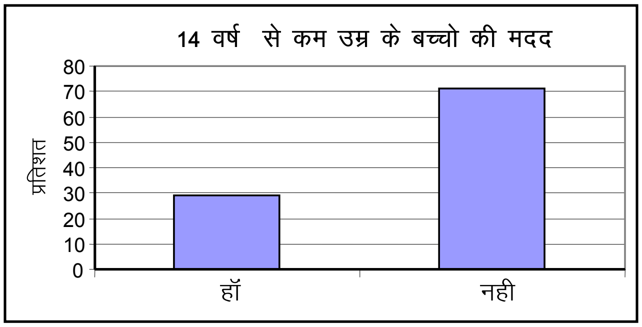

कुछ 28.5% टेम्पों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चें सवारी बैठाने का कार्य करते है।

जिसके एवज में उन्हें 25 से 30 रूपया रोजाना मिल जाते है, एक टेम्पों चालक की रोज की आय 100 रूपयें के लगभग होती है। शहर में टेम्पो बंद हुए तो करीब 1800 परिवार प्रभावित होगे। उच्च न्यायालय ने स्थानीय प्रशासन को यह आदेश दिए है, कि टेम्पो युनियन की मदद से टेम्पो के स्थान पर कुछ नया वाहन लाया जाए। किंतु इस नये वाहन की कीमत 3,00,000रू. है। 100% टेम्पो की वर्तमान कीमत 60,000रू. से ज्यादा नहीं है, और इन्हें नया वाहन खरीदने के लिए बैंक से या अन्य किसी स्त्रोत से पैसा उधार लेना पड़ेगा। ये लोग या तो अपने टेम्पों खुद ठीक कर लेते है, या फिर लोकल गेरॉज पर ले जाते है जो कि सस्ता पड़ता है। लेकिन यदि ये इस नये वाहन के लिए किसी अधिकृत कंपनी में जाएगें तो ये इन लोगो के लिए जबरन का खर्च होगा। कोर्ट के आदेश के कारण आर.टी.ओ. न तो नए परमिट दे रहा है और न ही पुराने परमिट को आगे बड़ा रहा है। लोग हफ्ते में पूरे दिन टेम्पो चलाते है। पुलिस और स्थानीय गुण्डों के कारण कई सारी परेशानियों का सामना करते है। ये लोग रोज 100–150रु कमाते है। इनमें से कई लोगों ने तो अपनी पुरी जिंदगी इस धंधे में बीता दी और फिर नए तरीके से शुरू करना अब नामुमकिन हैं।

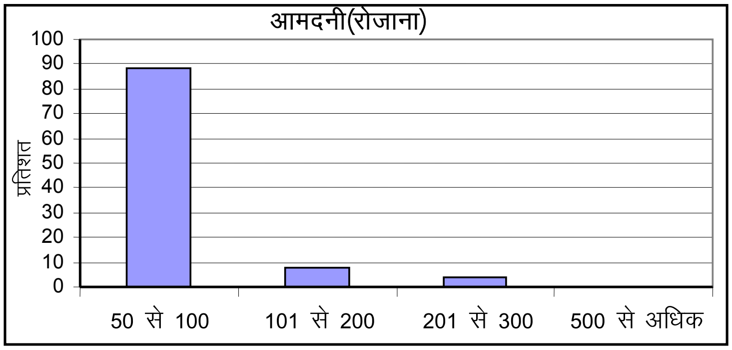

इन सब के पीछे प्रशासन की मंशा बी.आर.टी.एस. की शुरूआत करना है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सिटी बसों के लिए अलग से लेन बनाई जाएगी। बी.आर.टी.एस., 45 मीटर या ज्यादा चौढ़ी सड़को पर लागु हो सकता है। इस समय शहर में ब्रांड रोड 40 मीटर, ए.बी. रोड 60 मीटर और एम. जी. रोड 30 मीटर है। इसका सीधा–सीधा अर्थ है कि इस सिस्टम को लागू करने में बड़े पैमाने में तोड़–फोड़ की जायेगी, जिसकी वजह से कई शहरीयों का रोजगार धंधा छीन जाने का डर है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस सिस्टम को भी जे.एन.यु.आर.आर.एम. में प्रस्तावित किया गया है। अभी कुछ बसों को ट्रायल के तौर पर चलाया जा रहा है, आगे 500 बसे शहर में 108 किमी लंबी खास लेन पर दौड़ाने का विचार है।

इन सबसे 868 करोड़ रूपये खर्च होना अनुमानित है, जे.एन.यु.आर.आर.एम. के तहत बना यह प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और देश में बी.आर.टी.एस. का पहला।

नये वाहन के बावजूद आने वाले समय में इन लोगो को धंधे में नुकसान का अंदेशा है क्योंकि बी.आर.टी.एस. के तहत बनाई जाने वाली 108 किमी लेन पर इनका चलना वर्जित होगा। यह शहर के बाहरी हिस्सों में चलेगी, क्योंकि शहर के मध्य में प्रशासन द्वारा संचालित बसों का चलना ही प्रस्तावित है। (जब कोई और साधन न होगें तो मजबूरन शहरवासियों को इन बसों में ही बैठना होगा जिसे स्थानीय प्रशासन अपनी सफलता बतायेगा।)

टेम्पो युनियन की अपेक्षाएँ /सुझाव

यदि किस तरह ये इस नये वाहन कों खरीदना भी पडे तो इनके कुछ सुझाव हैं

1. नए वाहन की कीमत कम होनी चाहिए, इसका कीमत मूल्य कम होना चाहिए।
2. रखररखाव आसान होना चाहिए।
3. परमिट कई सालों के लिए होना चाहिए।
4. बैंक से अलग से सब्सिडी।

❑ ❑ ❑

कबाडी का धंधा करने वाले

''**कबाड़ा लेलो**'', ''**जूना पुराना लोहा लगंड वाला**'' इस तरह की आवाजे आपकी हर गली मोहल्ले में सुनाई देती है। ये कबाडे वाले आपके घर के बेकार हो चुके एवं फेंकने वाले सामान को आपसे खरीदते है। इन सामानों को ये लोग छाँटकर उसे बडे कबाड़ा व्यापारी को बेचते है, वो बडे व्यापारी इस माल को रिसाईकलिंग प्लाट तक पहुँचाते है। शहर के वातावरण को दूषित होने से बचाने एवं हमारे घर के खराब सामान को पैसे देकर खरीदने वाले ये लोग बहुत दयनीय स्थिति मे है। ये लोग ज्यादातर ठेलों या साईकिलों पर अपना धंधा करते है। आने वाले समय में इनके इस धंधे के भी छिन जाने का अंदेशा है। प्रशासन द्वारा इन्हें शहर के कुछ प्रमुख मार्गो और चौराहों पर धंधे की अनुमति नही दी जा रही है।

अध्ययन के दौरान यह पाया गया, कि इनमें से 99.4% कबाड़ी स्वयं के लिए धंधा करते है।

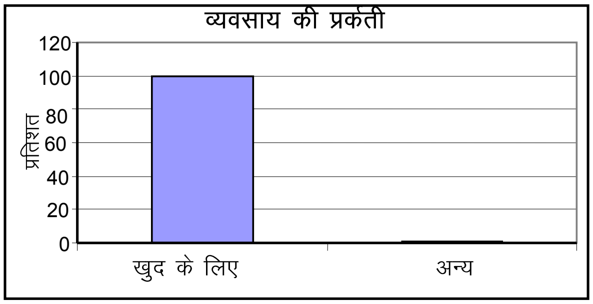

टेबल 3.1: धंधे के स्वरूप

	स्वयं	दूसरो के लिए	कुल
संख्या	164	1	165
%	99.4	0.6	100

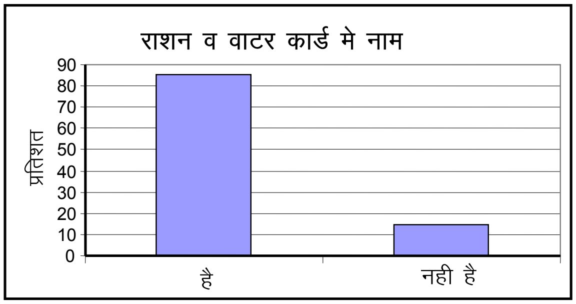

85.5% कबाड़ी वालों के पास राशन कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम है।

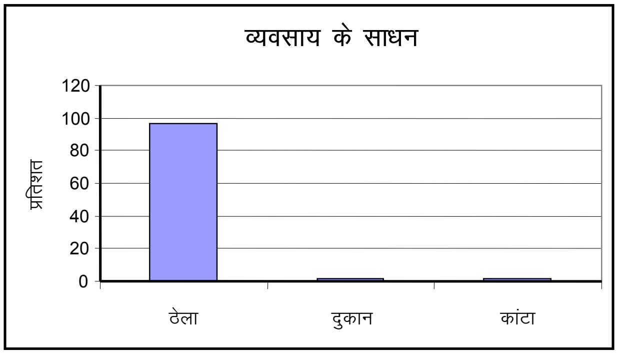

96.4% कबाडी अपना धंधा ठेला गाडी पर करते है।

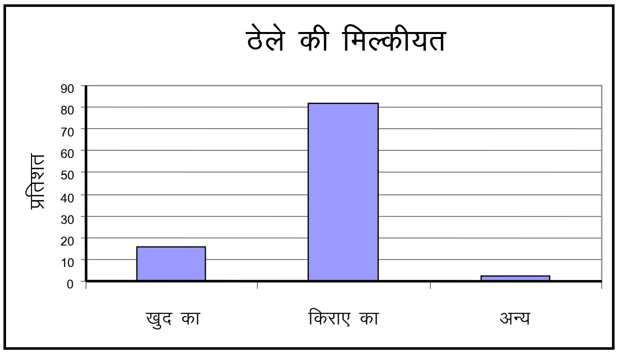

81.8% किराए का ठेला लेकर धंधा करते है।

टेबल 3.2: धंधे के साधन

	स्वयं का	किराए का	अन्य	कुल
संख्या	26	135	4	165
%	15.75	81.78	2.42	100

कुछ 2% कबाडी की दुकान लगाते है, जो शायद बडे व्यापारी होते है। इतने ही लगभग कॉंटा डाल कर रखते हे, जो बडे व्यापारी एवं कबाडी वालों के बीच की कडी का काम करते है। इनका धंधा मुख्यतः मध्यम वर्गीय कालोनियों में होता है, कुछ फुटपाथों पर,मुख्य सड़कों पर, पुराने एवं नए बाजारों में अपना धंधा चलाते है। किसी भी कबाडी वाले के पास कोई लाईसेंस नही है।

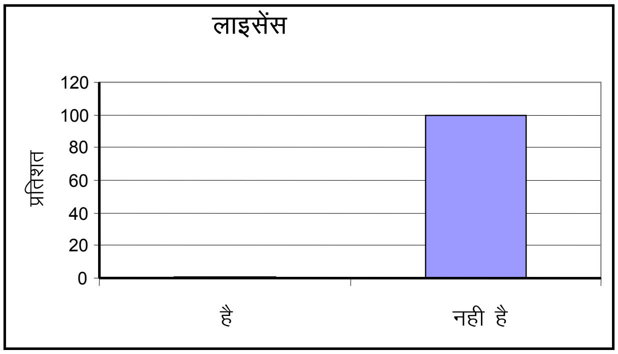

सुरेश की उम्र महज 29 साल है, लेकिन इस छोटी–सी उम्र में उस पर दर्जनों केस लग चुके है। कानून के बारे में पढ़े लिखे लोग जितना कम जानते है, उससे कहीं ज्यादा धाराएँ व उसकी सजा सुरेश को मुहँज़बानी याद है। फिलहाल सुरेश कबाड़ी का काम करता है एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सुरेश की माँ बहुत ही दबंग किस्म की महिला और ऊँचे कद, चौडे शरीर एवं वजनदार आवाज की मालिक थी। उसका रौब पूरे शेखर नगर पर चलता था। उस वक्त सुरेश एवं उसके साथियों की संख्या 20–25 थी। उसमें कुछ लड़कियाँ भी थी, इन सब की उम्र तकरीबन 16–20 के मध्य थी। इनमें से कुछ लोग कबाड़ी तो कुछ कचरा बिनने, कुछ छोटी–मोटी चोरियाँ और कुछ जेब कटी का काम करते थे। ये सब लोग सुरेश की माँ के कहने पर जान तक लुटाने को तैयार रहते थे। ''सुरेश बताता है, कि जब पहली बार ''दीन बंधु संस्था'' के लोग हमारी बस्ती में आए थे, तो हम लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया था एवं उन्हें घुटनों तक कीचड़ में ले गए थे। क्योंकि हमे लगा था कि वे भी दूसरों जैसे देखकर चले जाएगें, लेकिन धीरे–धीरे लगने लगा कि ये लोग वाकई में कुछ करना चाहते है।'' हम लोग भी सुधरना चाहते थे, इसलिए इनके साथ हो लिए। हम लोगों ने मिलकर एक सेवा संगम नाम का समूह बनाया, जिसमें गीत, नुक्कड़ नाटक, बचत समूह और अन्य गतिविधियाँ करते थे। हम सभी लोगों ने छोटी–मोटी चोरियाँ और जेब कटी का काम छोड़कर नगद मजदूरी के दूसरे काम

करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस परेशान करती रही। चुंकि अब सोच रखा था कि कुछ गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए इन सारी पुलिसियाँ परेशानी के बावजूद भी हम हमारे काम में लगे रहे। इस दौरान सुरेश ने अपने ग्रुप की ही एक साथी लड़की सुशीला से शादी कर ली। अपने कबाड़ी के काम के साथ–साथ झोपड़पट्टी वासियों एवं मजदूरों के अधिकारों के संघर्ष में काम करना शुरू कर दिया। विगत दस वर्षो में सुरेश ने इस संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाकर खुद को एक स्थानीय नेतृत्वकर्ता बना लिया, लेकिन इसकी सजा सुरेश को लगातार मिलती रही। गरीबों के संघर्ष में सुरेश का साथ देना प्रशासन एवं स्थानीय नेताओं को रास नहीं आया। इस दौरान उस पर दर्जनों नए केस लाद दिए और दो बार जिला बदर (तड़ीपार) कर दिया गया। घर चलाने में आ रही परेशानीयों से उक्ता कर सुरेश कहता है कि इससे अच्छा तो पहले था जब चोरी और जेब कटी करता था। इन सब मुश्किलों के बावजूद सुरेश आज भी अपने काम में लगा हुआ है, जितना कमाता है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा तो वकीलों एवं कोर्ट के चक्कर में लग जाता हैं।

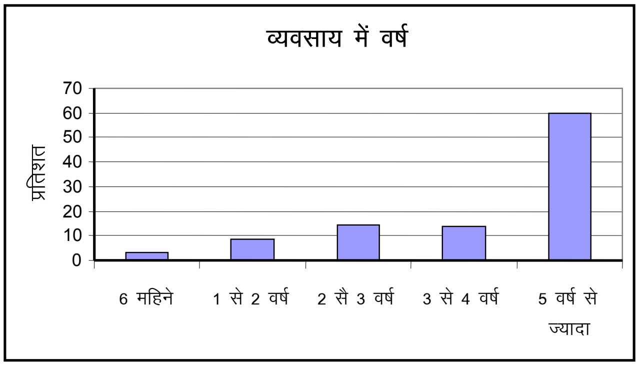

तकरीबन 60% कबाडी पिछले पाँच वर्षो से ज्यादा समय से इस धंधे को कर रहे है।

चूँकि इनके पास सामान ज्यादा होता है, और निजी गोदामों का किराया ये लोग वहन नही कर सकते, इसीलिए ज्यादातर कबाडी माल अपने घर पर ही रखते है।

टेबल 3.3: समान रखने की जगह

	घर	गोदाम	कुल
संख्या	163	2	165
%	98.79	1.21	100

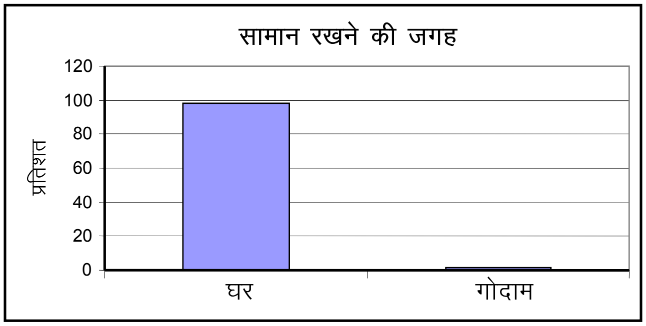

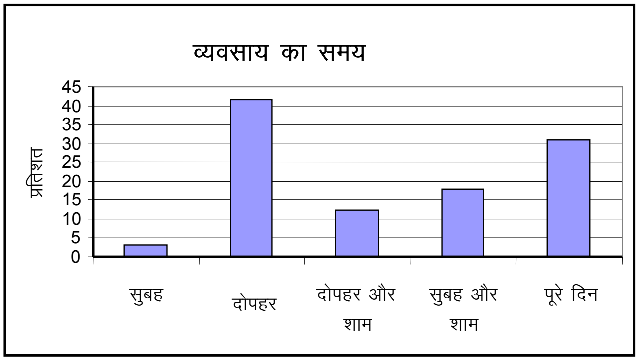

3.2% कबाडी धंधे के लिए सुबह का समय उपयुक्त मानते है, तकरीबन 30.2% दिनभर धंधा करते है ।

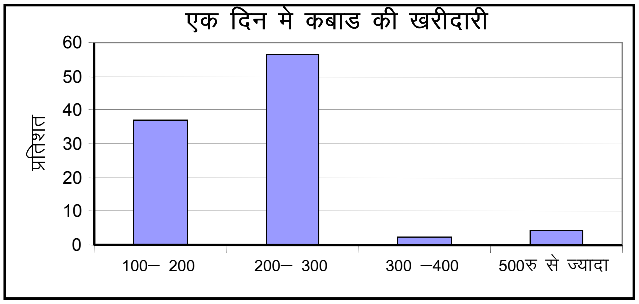

56.4% कबाडी एक दिन में 200–300रू. तक का कबाड़ा खरीदते है, एवं 37% कबाडी 100–200रु।

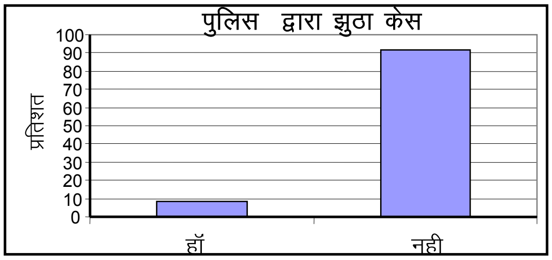

कुछ 8.5% कबाडीयों पर पुलिस ने खानापूर्ति के लिए झूठे केस दर्ज करें है।

चूँकि इनका धंधा पुराने सामान खरीदने से सम्बन्धित रहता है, इसी वजह से पुलिस इन्हें पूछताछ के बहाने परेशान करती रहती है।

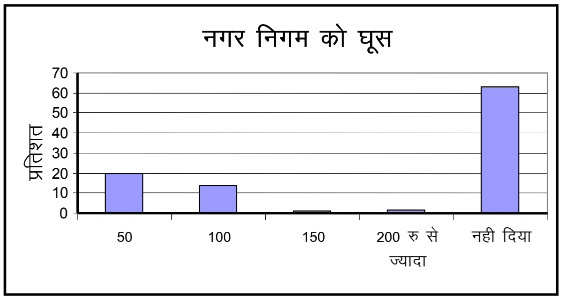

करीबन 35.1% कबाडीयों ने पिछले छः महीने मे 50 से 150रु दो या तीन बार इन्दौर नगर निगम को दिए

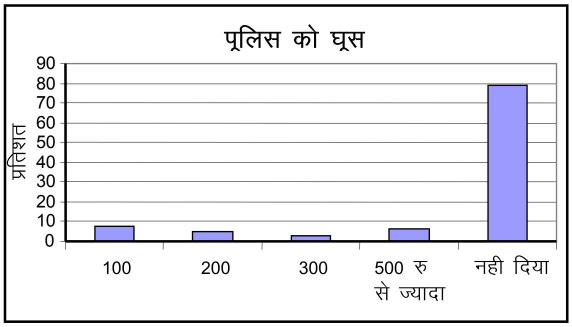

21.2% कबाडीयों ने पुलिस कार्यवाही से बचने के लिए 100 से 500 रू. तक दिए है। शायद पुलिस की वजह से दूसरे कबाडी सही जानकारी देने से बच रहे थे। 59.39% लोगो का मानना है कि सबसे ज्यादा परेशानी साहूकारों से होती है। 19.39% के आसपास लोग पुलिस को परेशानी का कारण मानते है।

टेबल 3.4: धंधे के दौंरान परेशान करने वाले कारकों

	साहूकार	स्थानिय गुण्डें	इन्दौर नगर निगम	पुलिस	अन्य	कुल
संख्या	98	1	33	32	1	165
%	59.39	0.60	20	19.39	0.60	100

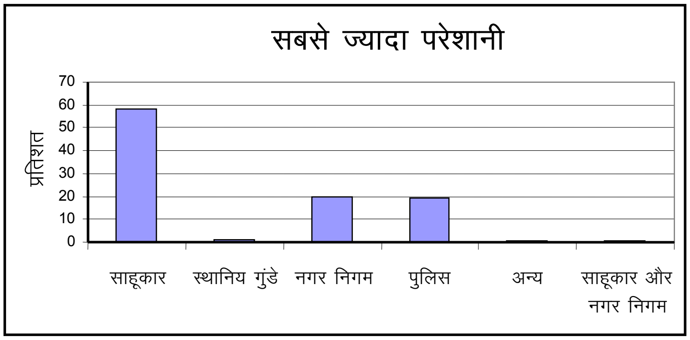

इन लोगों का धंधा दीपावली के समय में काफी चलता है, इसके पूर्व बारिश में 3 से 4 महीने इन लोगों को घर में बैठना होता हैं।

टेबल 3.5: मौसम जिसमें धंधा टपप रहता है

	गर्मी	बारिश	ठंड	असर नही	कुल
संख्या	11	150	0	4	165
%	6.66	90.90	0	2.42	100

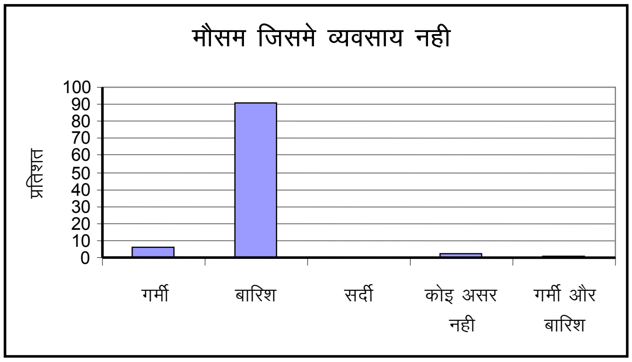

इस दौरान इनके पास जो भी थोड़ी जमा पूँजी होती है, वो खर्च हो जाती है। इन्दौर शहर में गरीब वर्ग के लोग नदी नालों के किनारे या निचली जगहों पर रहते है। बारिश के मौसम में इन्हे चौतरफा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे ज्यादा बारिश से इनके घरों में पानी घुस जाता है, उसका नुकसान, मौसमी बीमारीयों पर खर्च और घर का खर्च। इनमें से कई कबाडी तो दो या तीन बार विस्थापन की त्रासदी भी झेल चुके है।

जब बारिश का मौसम खत्म होता है,तो फिर से धंधा शुरु करने के लिए इन्हे कर्ज तक लेना पड़ता है।

टेबल 3.6: धंधे के लिए कर्ज किससे लेते है

	साहूकार	बडे व्यवसायी	कम्पनी	अन्य	कुल
संख्या	122	33	5	5	165
%	73.9	20.0	3.00	3.00	100

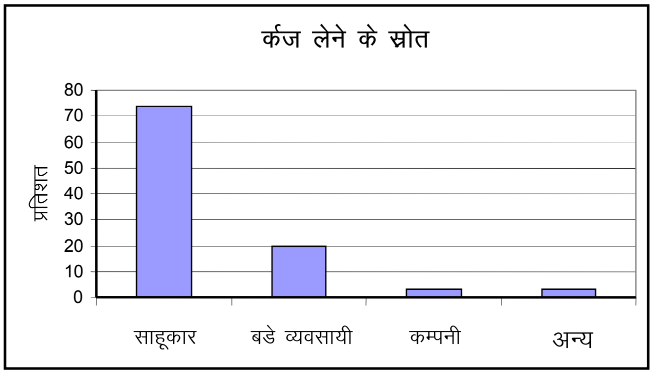

जब उनसे पूछा गया कि शहर में नवनिर्मित बडे शापिंग मॉलों में स्थित दुकाने भी कबाडी का सामान लेने लगी है, उसका आपके धंधे पर कितना असर पड़ा है? और आप उस स्थिति को कैसे देखते है? तो 3.6% कबाड़ियों का मानना था, कि यह महज आकर्षण है, 77.6% धंधा प्रभावित होने की बात स्वीकारते है, 17% का कहना था कि अगर ऐसा लगातार चला, तो हमें भीख मॉगना पड़ेगी या फिर आत्महत्या अथवा चोरी करेगे। उल्लेखनीय है कि शहर में निर्मित ट्रेजर आइलैंड में स्थित बिग बाजार ने पुराना सामान खरीदने की दुकान मॉल के प्रागण में लगाई थी, जिसमें अपना पुराना सामान बेचने वाले परिवारों को नगद भुगतान के बदले उनके सामान की कीमत से 4 गुना कीमत वाला सामान खरीदना होता है। जिसमें से पुराने सामान की कीमत घटाकर बाकी का भुगतान उन्हें करना पड़ता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनसे रद्दी एवं पुराना सामान कबाड़ी द्वारा तय कीमत से दो गुना ज्यादा लेकर लिया जा रहा था।

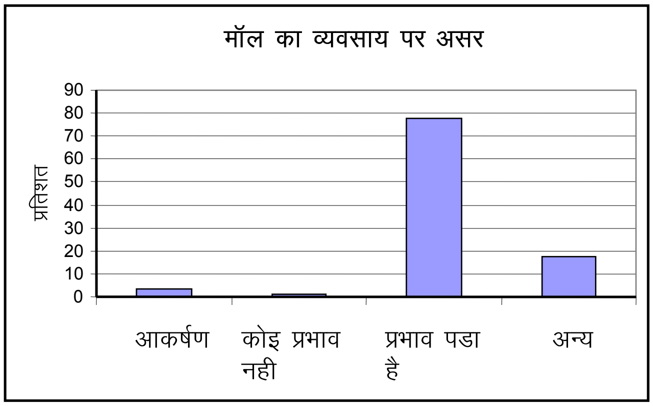

1995 से 1998 के मध्य बड़ी तादाद में शहर की गरीब बस्तियों का विस्थापन हुआ था, इन बस्तियों को शहर से बाहर 10 से 15 किमी दूर बसाया गया था। वर्तमान में अपने धंधे को संचालित करने के लिए उन बस्तियों में रहने वाले कबाडीयों को लंबा सफर तय करके आना होता है। तकरीबन 50.9% लोग 15 कि मी चलकर अपना धंधा करते है, बाकी बचे 49.1% लोग 8 से 12 कि.मी. प्रतिदिन अपना ठेला खीचते है।

टेबल 3.7: प्रतिदिन धंधे के दौरान तय की गई दूरी

कि. मी	8	10	12	15	कुल
संख्या	5	12	64	84	165
%	3.0	7.3	38.8	50.9	100

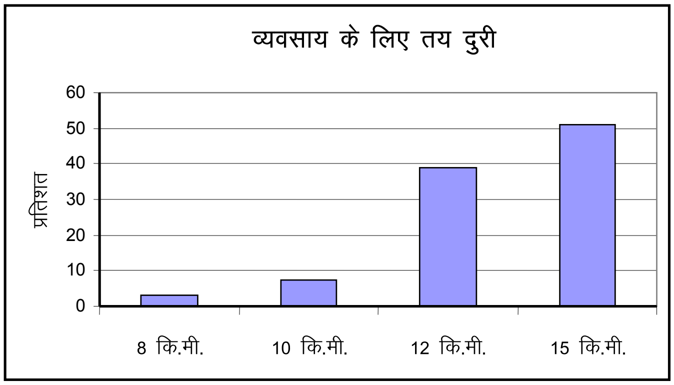

जब इन लोगों से भविष्य में आने वाली उन योजनाओं के बारे में पूछा, जो इनके जीवन को प्रभावित करने वाली है, तो 67.3% लोगों का मानना था, कि एकता के जरिए हम इस परेशानी से लडेगे। (फिलहाल इन लोगों का कोई संगठन नही है। 10.9% लोग प्रशासन से समझोते की बात करते है, 19.4% का मानना है, कि जमकर विरोध कर इन योजनाओं को लागू होने से रोकेगे।

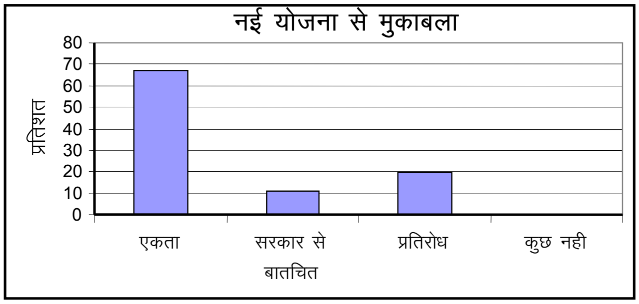

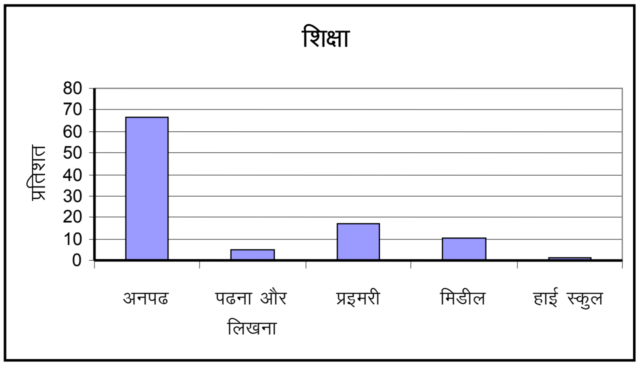

66.7% कबाडी अशिक्षित पाए गए, 4.8% तक पढने लिखने वाले, 17% प्राथमिक शिक्षा वाले, 10.3% पूर्व माध्यमिक, 1.2% दसवी पास।

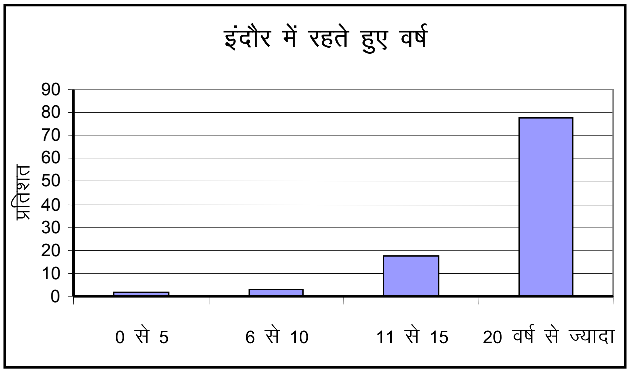

77.6% कबाडी पिछले 20 वर्षो से ज्यादा समय से इन्दौर शहर में निवास कर रहे है।

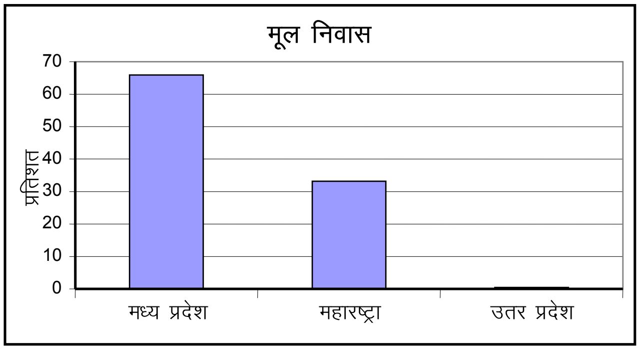

कुल 34% कबाडी राज्य के बाहर से आकर आकर बसे है।

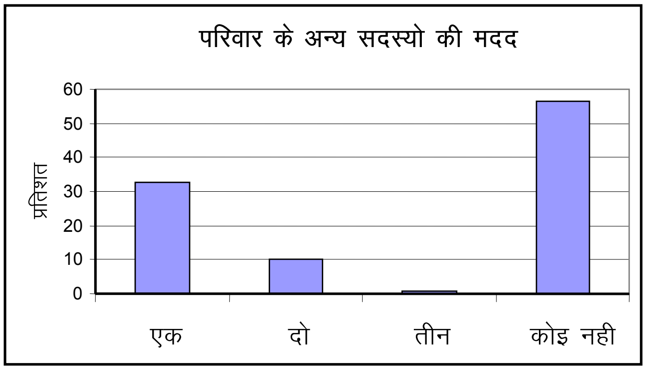

43.6% कबाडी अपने परिवार के सदस्यों से अपने धंधे में सहायता लेते है।

जब ये लोग माल इकट्ठा कर घर लाते है, तो इनके पत्नी, बच्चे और अन्य सदस्य उक्त माल की छटाई और बिनाई करते है, जैसे पन्नी, लोहा, ताँबा पितल, जर्मन, बीड, प्लास्टिक, रददी, काँच, पुराने जूते चप्पल आदि को अलग–अलग करते है। 74.5% लोगों के परिवार में 4–7 सदस्य है, 7.9% के परिवार में 7 से ज्यादा, 17.6% के परिवार में 3 सदस्य है।

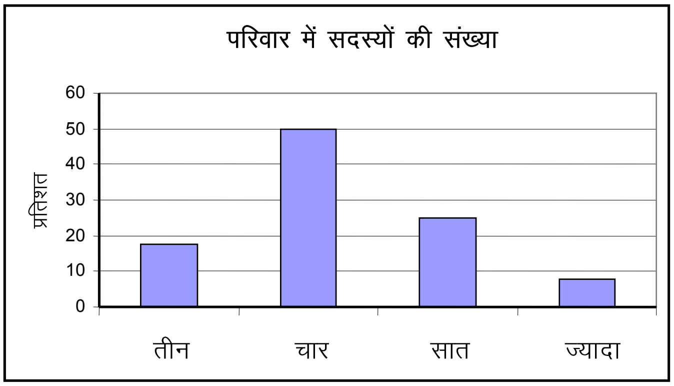

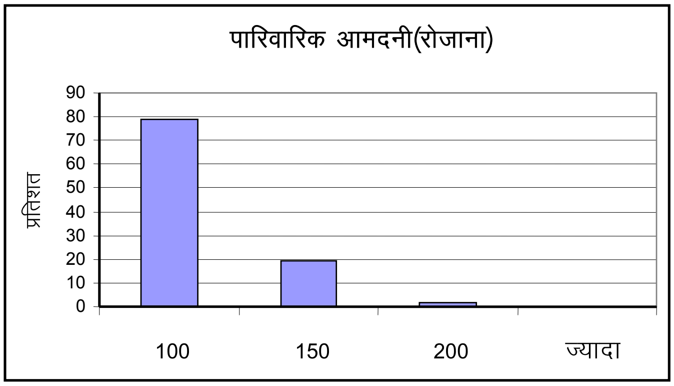

इनके परिवार की रोज की कुल आय मालूम करने पर ज्ञात हुआ 78.8% लोग 100रू. के अंदर कमाते है, 19.4% लोग 150रू. के भीतर, 1.8% लोग 200 के लगभग कमाते है। बमुश्किल महीने में 12 से 15 दिन इनका धंधा चल पाता है, और ज्यादातर समय खाली लौटना पड़ता है।

❑ ❑ ❑

निमार्ण मजदूर

यें लोग मुख्ततः कालोनियों में निर्माणहीन मकानों के पास अस्थाई झोपडों का निर्माण करके रहते हैं। कुछ बडे निर्माण के आस–पास भी ये लोग मिल जाते है। निर्माण मजदूर भी विभिन्न वर्गो मे बॅटे हुए है जैसे –

- ईंट भटटों में कार्य करने वाले
- पत्थर खदानों में कार्य करने वाले
- सड़क एवं टेलिफोन लाईन बिछाने वाले
- मकानों एवं भवनों के निर्माण मे कार्यरत मजदूर

राधेश्याम उम्र 26वर्ष अपनी बीवी के साथ फूटी कोठी के पास एक निर्माणाधीन मकान में काम करता है। दिन में मजदूरी और रात में वही पर चौकीदारी। वहीं पर उसने एक छोटा–सा अस्थाई टापरा बना रखा है। राधेश्याम मूलतः धार जिले में कडोला गांव के एक आदिवासी समुदाय से है। गांव में राधेश्याम सहित पाँच भाई है, और इनके पास सरकार द्वारा यहॉ पट्टे पर दी हुई कुल दस बीघा जमीन है। जिसका होना या न होना बराबर है। पानी एवं सिचाई के अन्य साधन न होने की वजह से वह जमीन बंजर पड़ी है। गाँव में रहते हुए इन्हें भुखे मरने की नौबत तक आ गई थी। रोजगार एवं धंधे की मजबूरी मे कोई दो साल पहले वह इंदौर आ गया। उसके साथ उसकी अठ्ठारह वर्षीय पत्नी गीता भी थी। दोनो पति पत्नि जोड़े से ठेकेदारों के यहाँ काम करते थे, राधेश्याम बताता है, कि दोनो को कभी 90रू. तो कभी 110रू. रोज के मिलते है, महीने में करीब 10 से 12 दिन काम मिल जाता हैं। शादी के 10वर्ष बाद राधेश्याम के यहाँ एक लड़की पैदा हुई ,दोनो पति– पत्नि ने उसका नाम सीमा रखा। जिंदगी जैसे–तैसे अभावों से जुझते हुए चल रही थी, बेटी सीमा डेढ़ वर्ष की हो चुकी थी। अभी राधेश्याम जिस जगह पर काम कर रहा है, वह आज से दस पंद्रह वर्ष पूर्व घना जंगल हुआ करता था। शहर के विस्तार के साथ–साथ इस क्षेत्र में कालोनियों का निर्माण शुरू हो गया था। पूर्व में घना जंगल होने की वजह से यहाँ पर सॉप–बिच्छु निकलना आम बात है। अभी कुछ दिन पहले ही टॉपरे में सोती हुई उनकी बच्ची सीमा को सॉप ने बारिश के मौसम में काट लिया, उस वक्त वहाँ पर ठेकेदार मौजूद नहीं था, इसलिए आस– पास के रहवासियों ने थोड़ी बहुत मदद करके उसको अस्पताल पहुँचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित

कर दिया,यह दोनो पति पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा आघात था क्योकि सीमा शादी के बहुत साल बाद एवं बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। दूसरे दिन ठेकेदार ने बमुश्किल उसको 1000रु दिए जिसमें से आधे पैसे आने वाली तनख्वाह में से काट लेने को कहाँ। चूँकि बच्ची को साँप काटने एवं मरने की बात आस–पास के रहवासी भी जान चुके थे। इसीलिए वे लोग ठेकेदार पर राधेश्याम की और मदद करने का दबाव डाल रहे थे। जब हमने कुछ समय बाद वहाँ जाकर देखा तो न वो टॅापरा था और ना ही राधेश्याम। ठेकेदार ने उसे वहाँ से भगा दिया था, अब राधेश्याम कहाँ होगा, किसी को पता नहीं है। कमोवेश यही स्थिति शहर के हर निर्माण मजदूर की हैं।

पुताई–रंगाई, खिडकी दरवाजे बनाना आदि के कार्य को छोड दे तो दूसरे कार्य, जैसे जुहाई, ढुलाई आदि मिस्त्री के काम ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों से आये मजदूर ही करते है।ये लोग बारिश के मौसम में अपने गांवों को लौट जाते है। और बारिश के बाद फिर से शहर में लौट कर एक ही ठेकेदार के अधीन कार्य करते है। कुछ 8 महिनें का इनका स्थाई निवास इस शहर में होता है। ये लोग शहर का एक जरूरी हिस्सा बन गए है। इनका लगभग पूरा परिवार ही काम मे लगा होता है, इनके बच्चे भी इसमें शामिल होते है, जिन्हे पढाई और दुसरी जरूरतों से कोई सरोकार नही होता है। बातचीत के दौरान इन्होने बताया कि अचानक कुछ दुर्घटना

हो जाने पर ठेकेदार की तरफ से कोई जिम्मेदारी भी नही ली जाती है,ऐसे वक्त ठेकेदार इन्हे वापस इनके गांव छुडवा देता है,ताकि किसी सरकारी कारवाई मे ना फॅसे। बीमा या अन्य योजनाओं का लाभ भी इन्हे नही मिलता है। ज्यादातर मजदूर जोडें से काम करते है,और ठेकेदार भी इन्हे प्राथमिकता देता है। चुॅकि ये लोग एक प्रकार से शहर के स्थाई नागरिक हो जाते है, अतः शहर से इनका

नाता जुड जाता है। लोग अपनी मजदूरी को लेकर जागरूक है,लेकिन इसका खामियाजा इन मजदुर को भुगतना पड रहा है,क्योकि अभी जितने भी बडे निर्माण कार्य हो रहे है, उसमे मजदूर बिहार या अन्य क्षेत्रों से लाये जा रहे है।बाहर से आये मजदूरों के कारण इन स्थानीय मजदूरों के सामने रोजी–रोटी का संकट खडा हों गया है।

इन्दौर शहर मे कुछ प्रमुख मजदूर चौक है।

1)	फुटी–कोठी चौराहा	2)	पलसीकर चौराहा
3)	सीतलामाता बाजार	4)	चन्दन नगर थाना चौराहा
5)	पलासिया चौराहा	6)	मालवा मिल चौराहा
7)	बडा गणपति	8)	परदेशीपुरा चौराहा
9)	मूसाखेडी चौराहा		

इन चौराहों कि स्थिति अगर हम 11बजे के आसपास देखेगे तो आपको बडी तादाद् में मजदूर तब भी काम के इतंजार में खडे मिलेगे। यहॅा चौराहों पर 500–600 मजदूर सुबह 7 बजे से जमना शुरू हो जाते है। लेकिन काम बमुश्किल से 40–50 मजदूरों ही मिल पाता है। बाकी दोपहर 12 बजे तक इंतजार के बाद लौट जाते है।कई मजदूर इन चौराहों तक आने–जाने में 10–12 रू. तक का भाड़ा चुकाते है। जो काम न मिलने कि दशा मे बहुत कष्ट दाई होता है। एक झाबुआ से आये मजदूर ने बताया कि अब नई मशीने और औजार बीस–पच्चीस मजदूरों का काम अकेले और जल्दी कर लेती है, तो फिर हमारे लिए काम कहा बचेगा। मजदूर लगातार बढते जा रहे है लेकिन मजदूरी और काम लगातार घटते जा रहा है।

निर्माण मजदूरों के लिए विशेष कानून

निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों की समस्याओं के निवारण के लिए निम्नांकित कानून लागू किये गये हैं –

1. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996

2. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

इन कानूनों में निर्माण मजदूरों की कार्यदशाओं, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रावधान् किये गये हैं। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने आवास के लिये, दस लाख रू. तक की लागत के बनाए जा रहे मकान को छोड़कर अन्य सभी निर्माण कार्यों पर यह कानून लागू है। निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिये राज्यस्तर पर एक कल्याण निधि की स्थापना की गई है, और इसके प्रशासकीय संचालन के लिये मध्यप्रदेश श्वन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्ड़ल का गठन किया गया है। निर्माण कर्मकार कल्याण मण्ड़ल की निधि के लिये निर्माण कार्यों पर उपकर लगाने के प्रावधान् के तहत केन्द्र सरकार ने निर्माण कार्यों की लागत का 1% उपकर की दर निर्धारित की है। निर्माण संस्थाओं द्वारा उपकर राशि मण्ड़ल में जमा की जाती है।

मध्यप्रदेश वन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

निर्माण मजदूरों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएँ लागू कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्ड़ल संचालित है। मंड़ल के अध्यक्ष प्रदेश के श्रम मंत्री है तथा 5 निर्माण मजदूरों, 5 निर्माणकर्ता नियोजक के प्रतिनिधि तथा शासकीय प्रतिनिधियों को मिलाकर मंड़ल गठित है। मंड़ल द्वारा निर्माण मजदूरों के लिए विभिन्न योजनाओं के संबंध में निर्णय लिया जाता है तथा लागू योजनाओं के क्रियान्वय की समीक्षा की जाती है। प्रदेश के निर्माण मजदूरों के पंजीयन कार्य को बढ़ाने तथा मंड़ल की गतिविधियों के संबंध में जनजागरूकता लाने के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन आदि का निर्णय भी लिया जाता है।

❑ ❑ ❑

कचरा बिनने वाले

कचरा बीनने के कार्य मे ज्यादातर स्थापित झोपडपट्टीयों की अनुसूचित जाति के महिलाएँ, बच्चे या आंशिक विकलांग शमिल है।ये लोग नगर निगम के कर्मचारियों के आने से काफी पहले ही सुबह कचरा जैसे ;पन्नियॉ, प्लास्टिक, घातु ,कॉच आदि बीनने पहुँच जाते है । इन सारी चीजों को ये लोग घर लाकर अलग–अलग छॉट देते है, जैसे कि बल्ब में से तॉबा, एल्युमिनियम और कॉच ये इन सारी चीजों को स्थानीय कबाडा व्यापारियों को बेचते है और वे इस भंगार को एक बडे व्यापारी को बेचते है ;और आखरी मे यह छटा हुआ कचरा पिथमपुर और देवास स्थित प्लांटों में पहुॅच जाता है।इन्दौर शहर में रोजाना 600टन कचरा निकलता है, (जिसमे से 65% कचरा नानॅडिग्रेडेबल होता है) इन्दौर नगर निगम सिर्फ 300 टन कचरा ही उठा पाता है। दूसरी ओर देखा जाए तो ये कचरा बिनने वाले शहरी कचरा प्रंबधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। नगरनिगम वाले तो बस इस कचरे को साफ करशहर के बाहर फेंकने का काम करते है।जिस पर नगर निगम का 4 करोड रू सालाना खर्चा आता है। दूसरी ओर कचरा बिनने और अटाले वाले मुफ्त मे शहर को अपनी सेवॉए दे रहे है। जबकि ये लोग टाक्सिक नॉन डिग्रेडेबल कचरा जैसे प्लास्टिक और धातु –लोहा, तॉबा, जर्मन, सोना, चॅादी आदि को रिसायकल प्लांट तक पहॅुचातें है। इस शहर मे कुल मिलाकर 650 कचरा इकट्टा करने के केन्द्र है। जिसमे से 250 केन्दों पर ही निगमकर्मी कचरा इकटटा करने पहॅुच पाते है। जिसकी वजह से शहर से पूर्ण रूप से कचरा नही उठ पाता, निगम द्वारा 500 परिवार पर एक सफाईकर्मी नियुक्त है ,5 वार्डो के लिए एक कचरा गाडी मौजूद है।

शादी को 4वर्ष हो चुके है ,बात और आगे बढ़ाते हुए नंदा बाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और शर्म आ जाती है, वो सकुचाने हुए बताती है कि बारीश के कुछ दिन पूर्व मैंने एवं पति मनोज ने घर से भागकर शादी की थी। घर से भागते वक्त दोनों ने अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने संजोए थे। शादी के कुछ दिन

बाद वे लौट कर फिर बस्ती में रहने के लिए आ गए। ख्वाबों को संजोते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरूआत की। उस वक्त नंदा की उम्र 18 वर्ष थी और मनोज की उम्र 23वर्ष। ग्रहस्थी चलाने के लिए मनोज जल्द सुबह अपने कबाडी के धंधे के लिए फेरी पर निकल जाता था, और नंदा बाई वही पुराने पन्नी और कचरा बिनने के काम में लग जाती थी। शुरूआती 5–6 महीने तो ठीक–ठीक गुजरे, जितना कमाते उसमें आसानी से गुजारा चल जाता था। परेशानियों के दिन तब शुरू हुए जब उसका आठवाँ–नौंवा महीना लगा। एक ओर तो माँ–बाप बनने की खुशी थी ,वही दूसरी और होने वाले खर्चे की चिंता भी। क्योंकि नवें महीने में भी नंदा रोजाना अपने कार्य को जाती थी, जिससे बमुश्किल वो 30–35रू. तक कमा पाती थी और कबाड़े के धंधे से उसका पति 40–50रू.। उस वक्त प्रेगनेंसी के आखरी दिनों में उसके पति ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, दवाईयों और जाँचों पर उसके 4–5 हजार रूं. खर्च हो गए, जो वो कहीं से कर्ज लेकर आया था। फिर आया वो दिन जिसका उन दोनों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वो दिन उनके लिए मनहूसियत लेकर आया, उनका बच्चा मरा पैदा हुआ। सारे सपने एक पल में धाराशायी हो गए ,पर जीना मजबूर थी।उन्होंने फिर से कर्ज का बोझ और बच्चे की मौत का गम लिए अपनी जिंदगी की शुरूआत की। फिर से वहीं रूटीन चला जैसे–तैसें मियाँ–बीवी ने पेट काटकर पुराने कर्जे में से कुछ चुकता किया। एक बार फिर नंदा गर्भवती हुई, फिर नौवां महीना आया, फिर आस की डोर सपनों के साथ बंधी। इस बार नंदा की डिलीवरी घर पर ही हुई, कुछ कर्जा इस बार भी लेना पड़ा, लेकिन इस बार भी दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा और फिर से बच्चा मरा पैदा हुआ। इस हादसे से दोनों बुरी तरह टूट गए, उनके साथ यह लगातार दुसरी बार हुआ। मेहनत ज्यादा और कमाई कम, कर्ज बड़ ही रहा था। फिर कर्जो का बोझ लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की, उन्होनें जैस–तैसे थोड़ा बहुत कर्जा फिर उतारा था, कि नंदा तीसरी बार प्रेगनेंट हुई, इस बार दोनों कुछ ज्यादा ही सर्तक थे। कुछ कर्जा लेकर और कुछ बस्ती के लोगों ने चंदा देकर इनकी मदद की। शुरू के समय से ही ये लगातार जाँच करवाते रहे, प्राइवेट डॉ. को दिखाया एवं पिछले दो बच्चो के मरने की बात भी बताई। तीसरी बार ये लोग आश्वस्त थे, क्योकि डॉ.ने सारी जाँचें कर ली थी और कहा था कि इस बार सब कुछ ठीक है। इस बार मनोज ने नंदा को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। तीसरी बार नंदा को लड़का हुआ, सारे कर्जो और पिछले गमों को भूलकर नंदा और मनोज खुश थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अचानक दो दिन बाद बच्चे की तबियत खराब हुई

और बच्चा मर गया। सारी खुशियाँ चंद लम्हों में काफूर हो गई। आज बात करने पर मनोज बड़े दुःखी मन से कहता है,'' कि भईया तीसरी बार बहुत आस थी पर हमारी किस्मत ही खराब है।'' आज 5–6 महीने बीत जाने के बाद भी हमारे ऊपर 15 हजार रू. का कर्ज बाकी हैं। रोज ब्याज वाले घर पर आकर गालियाँ देते है, अब तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गये हैं। इतना शरीर से टूटने के बावजूद अभी भी नंदा कचरा बिनने जाती है, और मनोज कबाडी के धंधे पर, क्योंकि उन्हें जीना तो है, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए।

❑ ❑ ❑

हार्कर्स सर्वे

शहर में विभिन्न तरह के फेरीवाले मिलते है, ये लोग या तो किसी एक स्थान को चुनकर धंधा करते है अथवा सायकल व ठैले पर घर–घर जाकर माल बेचते है। राजबाड़ा और उसके आस–पास के स्थानों पर कई महिलाएँ एक छोटे से कपडे के टुकडे पर जडी बुटियाँ बेचती हुई मिल जाएगी। कुछ छोटी उम्र की लड़कियाँ टोकरी में नींबू लिए या हाथों में महिलाओं के बालों की पिन,रबर जैसे अन्य सामान बेचती हुई मिल जाएगी। इनमें से ज्यादातर महिलाएँ निमाड एवं झाबुआ इलाके से आई हुई है। शिवाजी मार्केट और कृष्णपुरा पुल पर कुछ पुरूश तालों की डुप्लीकेट चाबी बनाना, चमड़े के बेल्ट बेचना, चश्मे, रेगजीन बैग, स्लीपर आदि बेचने का काम करते है। कुछ महिलाएँ हरसिद्वी पुल के चिंदी बाजार में पुराने कपड़े बेचती हुई मिल जाएगी। मुख्य सड़कों के किनारे कुछ फेरीवाले दुकान लगाकर या हाथ ठेलों में टार्च, स्वेटर, शाल, एवं खिलौने बेचते हुए मिल जाएगे। ये लोग झोपडपटिटयों में या कच्ची बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं के बिना जीवन–यापन करते है, अन्य धंधे वालों की तरह इन लोगों पर भी आने वाले समय में रोजी–रोटी की समस्या खडी हो जाएगी। क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा थोपी गई जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना अपने लक्ष्य में शहर के मध्य क्षेत्र का विकास करना दर्शाती है, जिसकी वजह से इन फेरीवालों को आने वाले कुछ महीनों में बेदखली का सामना करना पड़ सकता है। हमने इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को समझने के लिए एक अध्ययन किया है। अध्ययन के दौरान यह पता चला है कि महिलाओं की भागीदारी लगभग पुरूषों के समान है।

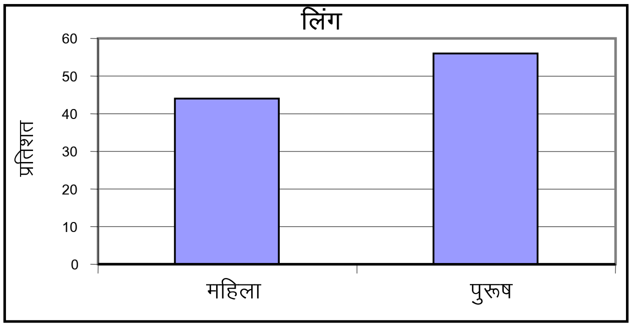

टेबल 6.1: धंधे के स्वरूप

	स्वयं	दूसरो के लिए	कुल
संख्या	98	2	100
%	98	2	100

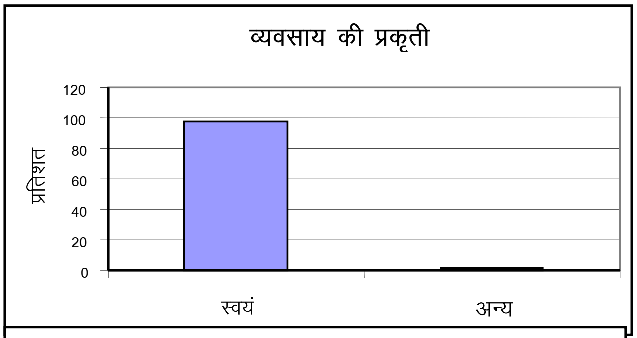

98% फेरीवाले स्वयं के लिए धंधा करते है, कुछ 2% बडे सेठों का माल कमीशन या फिर दैनिक वेतन के हिसाब से बेचते है।

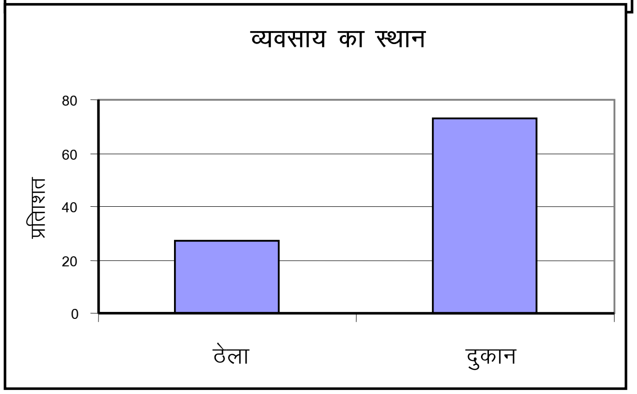

73% फेरीवाले सड़कों के किनारे खुले में छोटी दुकान लगाकर और 27% किराए या स्वयं के ठेले पर अपना धंधा करते है।

इ.न.नि. और पुलिस कार्यवाही के दौरान दुकान लगाकर व्यवसाय करने वालों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम कर्मचारियों एवं पुलिस के आने पर इन्हें अपना सामान समेटकर भागना पड़ता है, कई बार भागने के दौरान इनका सामान टूट–फूट भी जाता है और प्रशासन द्वारा जब्त भी कर लिया जाता है। अभी तक इन लोगों के पास किसी तरह का लाईसेंस नही है, लेकिन हाल ही में प्रशासन ने इनका सर्वे कर कुछ 10,000 फेरीवालों को परिचय पत्र दिया है।

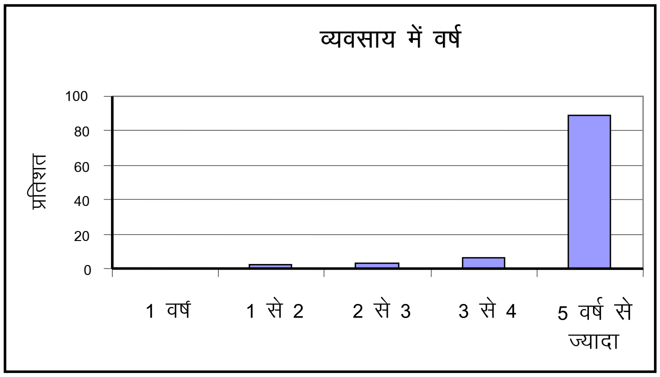

89% फेरीवाले पिछले 5 वर्षो से ज्यादा समय से उक्त धंधा कर रहे है।

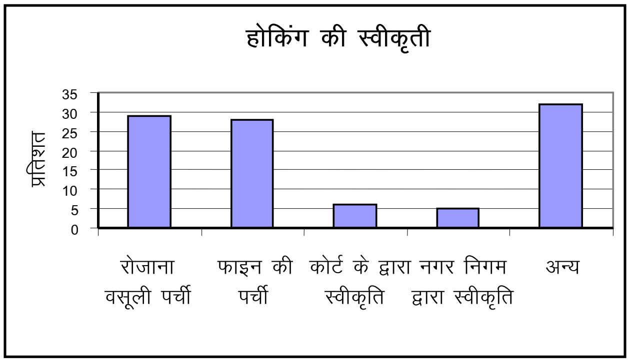

57% फेरीवाले रोजाना वसूली पर्ची या दण्ड भरते है।

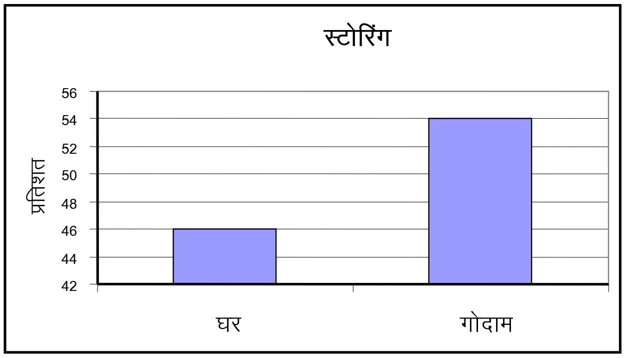

54% फेरीवाले अपना सामान निजी गोदामों में रखते है, क्योंकि उनके घरों से कार्यस्थल की दूरी बहुत अधिक होती है।

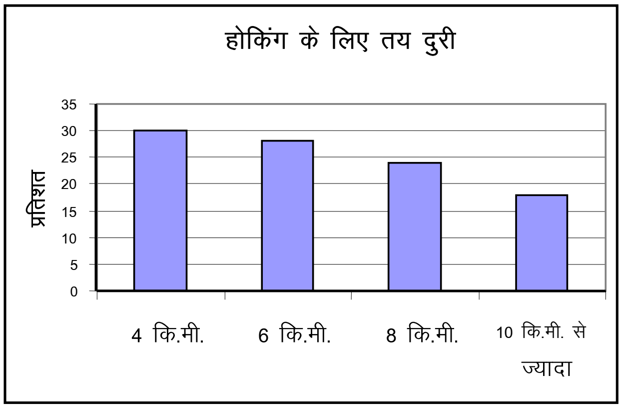

42% फेरीवाले 8 से 10 किमी. दूर से आते है, इतनी दूर सामान लाद के नही ले जा सकने के कारण ये लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा गोदामों को किराए के रूप में देते है।

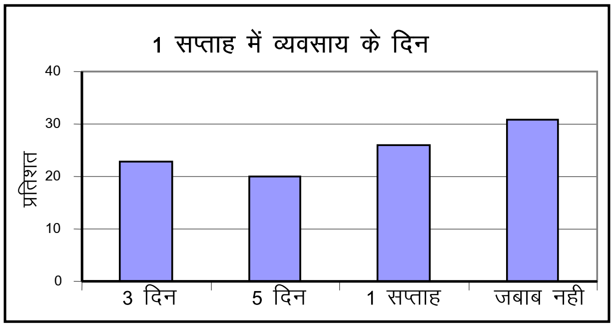

26% फेरीवाले पूरे सप्ताह, और दिन भर अपना धंधा करते है।

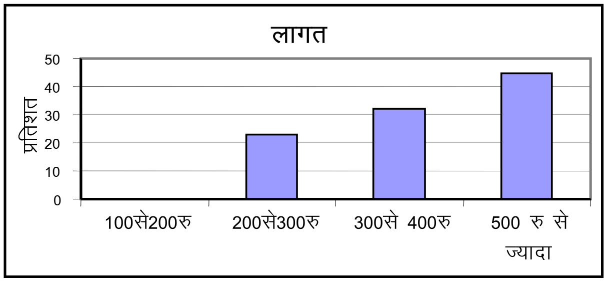

45% फेरीवालों के पास 500 से ज्यादा तक का माल, 32% के पास 300 से 400 तक का माल, 23% के पास 200 से 300 तक का माल होता है।

टेबल 6.2: धंधे के दौरान माल की कीमत

रु में	100–200	200–300	300–400	500 से उपर	कुल
संख्या	0	23	32	45	100
%	0	23	32	45	100

60% ये स्वीकारते है,कि पिछले छः महीनों के दौरान दो या तीन बार उन्हें पुलिस और नगर निगम की कार्यवाही का सामना करना पडा है। बचे हुए 40% ने किसी डर की वजह से कुछ भी कहने से परहेज रखा।

सबसे ज्यादा परेशान इन्हें स्थानीय गुण्डे करते है। बातचीत के दौरान महिलाएँ कहती है कि अगर हम थोडा सा भी कड़क और तेज नही हो तो हमारे लिए काम काना बड़ा मुश्किल हो जाए।

टेबल 6.3: यौन प्रताड़ना के मामलों का प्रतिशत

	हाँ	नही	कुल
संख्या	68	32	100
%	68	32	100

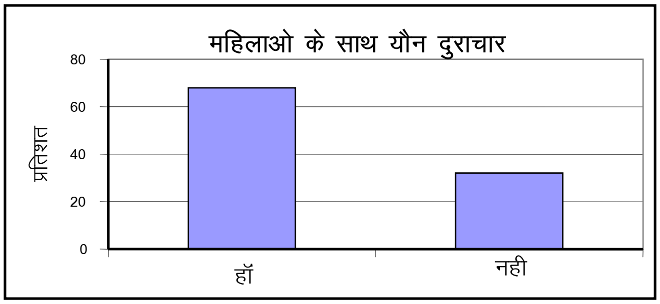

68% महिलाओं ने यह स्वीकार किया, कि उनके साथ कार्यस्थल पर यौन दुराचार की घटनाएँ होती रहती है।

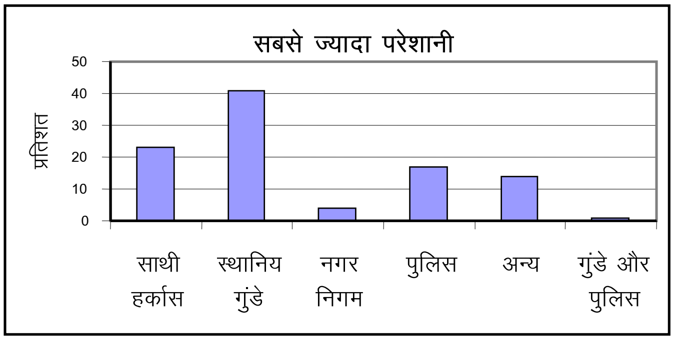

17% फेरीवालों को सबसे ज्यादा परेशानी स्थानीय पुलिस वालों से होती है।

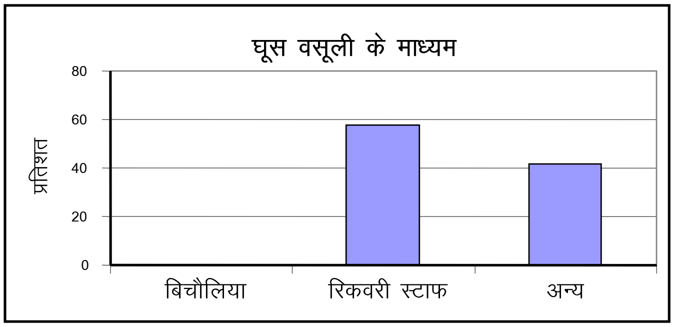

जबकि 58% फेरीवाले पुलिस को रिकवरी स्टॉफ के जरिए पैसे देने की बात स्वीकारते है।

फेरीवालों में आपस में थोड़ा बहुत संवाद है ये लोग सीधें स्थानीय नेताओं के पास भागते है पहले दिन तो नेता साथ में होते है, लेकिन एक रात में अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि दूसरें दिन वे गायब हो जाते है, और फेरीवालें जो उनके भरोंसे रहते है टुट जाते है ऐसा ही कुछ नजारा पिछले दिनों राजबाड़ा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान देखने को मिला था, एक फेरीवाला कहता है कि हम कोई चोर–उचक्के या गांजा–चरस बेचने वाले थोंड़े ही है जो पुलिस सारा काम छोड़कर हमें परेशान करने आ जाती है, क्या इन्हें बस यही एक काम बचा है।

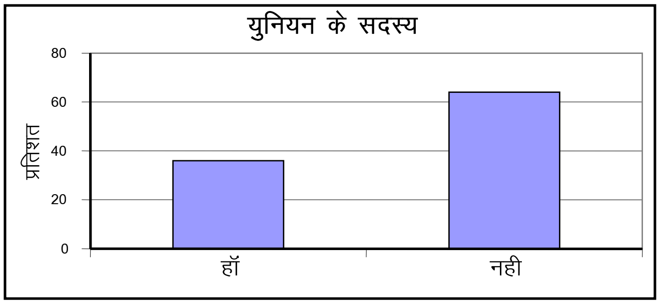

36% फेरीवाले संगठन के फायदों के प्रति जागरूक है।

इनमें से 30% हायर सेकेंडरी और दसवी तक पढ़े हुए है और उन्हें मजदूर संगठनों के बारे थोड़ा बहुत पता है। इनका धंधा भी मुख्य रूप से बारिश के मौसम में ही प्रभावित होता है, क्योंकि ये लोग बिना छत के खुले में ही अपना व्यवसाय चलाते है। बारिश के दौरान इन्हें बमुश्किल कोई काम मिल पाता है। ये मौसम इन लोगों के लिए सबसे बड़ा कठिनाईयों भरा होता है। मौसमी बीमारीयों के इलाज का अतिरिक्त खर्च, कई बार बारिश के मौसम में इनकी बस्तियों को तोड़ने की वजह आदि से ये लोग बुरी तरह टूट जाते है। (ज्यादातर बस्तियाँ बारिश के मौसम में ही बाढ़ के नाम पर हटाई जाती है।

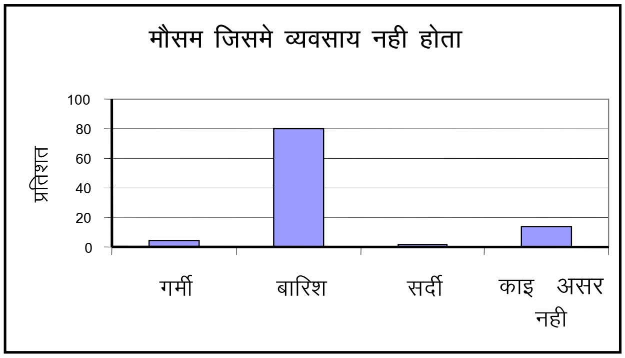

कृष्णपुरा पुल पर फेरी लगाकर महज 12 साल की उम्र से राजेश धंधा कर रहा है। राजेश के पिताजी मजदूरी करते थे, घर में चार भाई और तीन बहने सहित कुछ 9 सदस्य थे घर की आर्थिक स्थिति शुरू से ही खराब थी। छोटी–सी उम्र मे राजेश को काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पडा। काम करने के साथ–साथ उसने अपनी पढाई भी जारी रखी । राजेश ने जब 12वी पास की तो उसने पुलिस की नौकरी मे जाने के लिए प्रयास किया, भारी रिश्वत की मॉग की

वजह से दो तीन प्रयासों के बावजुद भी वह पुलिस की नौकरी मे नही जा पाया। राजेश की उम्र 33 वर्ष है, उसकी पत्नी का नाम सुनंदा एवं उसके 3 बच्चे है (दो लडके, एक लडकी) उदास मन से राजेश कहता है ''कि बडा सपना था पुलिस मे जाने का लेकिन अब टूट चुका हूॅ और हिम्मत नही होती, उम्र भी निकल गई और परिवार को पालने का बोझ अलग से है।''राजेश ने स्वेटर, प्लास्टिक की चप्पले ,रेगजीन बेग की दुकान खोली थी, लेकिन नगर निगम एवं पास ही स्थित पुलिस थाने की सख्ती की वजह से लगभग 3 वर्ष तक ये लोग अपने ठीए पर दुकान नही लगा पाए । इस वजह से राजेश को भारी नुकसान झेलना पडा जितनी भी कर्ज की रकम थी, वो पूरी घर खर्च में चली गई ,और कर्जा अलग चढ गया । इस दौरान राजेश ने सिक्यूरिटी गार्ड और मजदूरी जैसे अन्य कार्य भी किए। इनके धंधे मे 8 से 10,000रु का माल होने पर ही कमाई की जा सकती हैं। लेकिन राजेश के पास पूंजी न होने की वजह से पिछले छः महीने से वह बिना काम के फालतू बैठा है। किसी से कर्जा भी नही ले सकता और कोई देने को तैंयार भी नही है, क्योकि पहले से ही काफी कर्जा चढा हुआ है।

इन सब हादसों के बाद जब उसे फिर से धंधा शुरू करना होता है, तो उनके सामने कर्ज लेने के सिवाय और कुछ चारा नही होता है। (10% की मासिक दर से चक्रवृति ब्याज पर)। जिसका पूरी उम्र ये लोग सिर्फ ब्याज ही भर पाते है। अध्ययन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि 96% फेरीवाले स्थानीय साहूकार से कर्ज पर पैसा उधार लेते है।

टेबल 6.4: धंधे में कर्ज किससे लेते है

	साहूकार	साथी	अन्य	कुल
संख्या	96	2	2	100
%	96	2	2	100

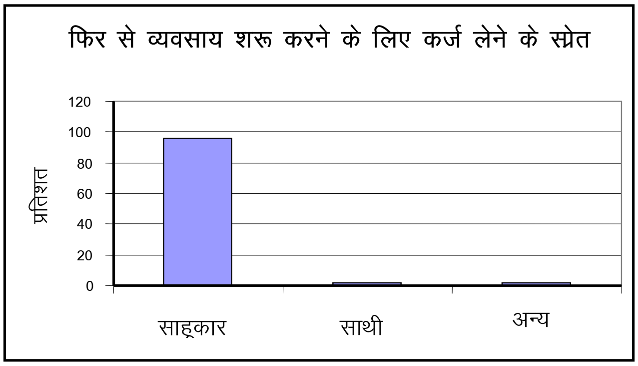

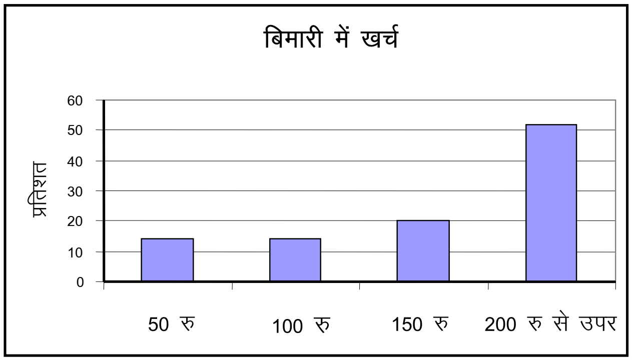

52% फेरीवालों का हर महीने बीमारी खर्च 200 रू. होता है, जबकि 34% का 100 से 150 रू.।

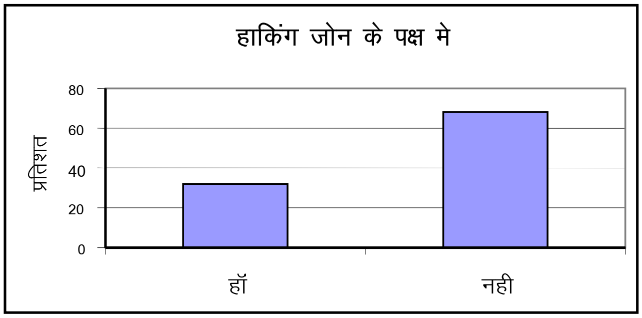

ये लोग इनकी वर्तमान कार्यस्थल से खुश है, उनके अनुसार यह जगह उनके लिए अधिक फायदेमंद है। 68% किसी और जगह पर धंधे के लिए नही जाना चाहते, वे प्रशासन द्वारा प्रस्तावित हांकिग झोन को पूरी तरह से नकारते है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि प्रशासन ऐसी जगह पर हांकिग झोन बनाएगा जो धंधे के हिसाब से बिलकुल भी उपयुक्त नही है। ये सभी फेरीवाले ज्यादातर गरीब बस्तियों में रहते है।

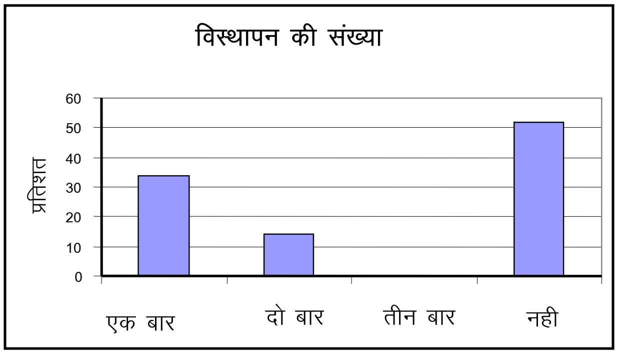

इनमें से 48% फेरीवालों ने एक से दो बार बेदखली का दर्द सहा है।

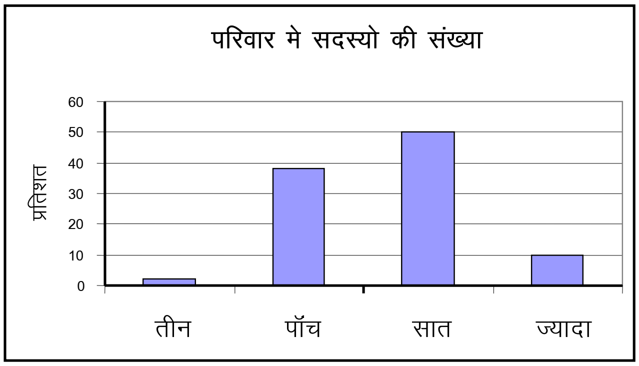

88% फेरीवालों के परिवार में 5–7 सदस्य है।

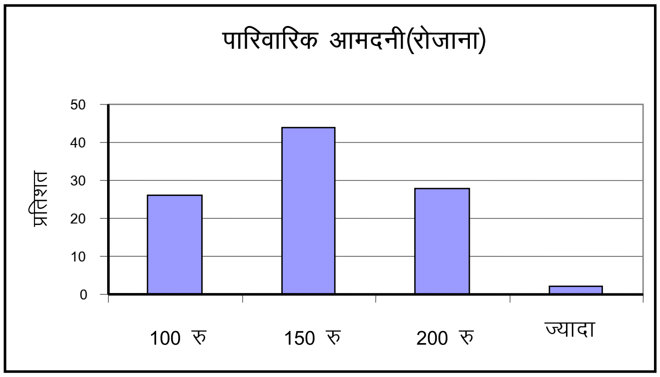

इनके परिवार की रोज की कुल आय 100 से 150 रू. तक है।

जब हम लोगों ने इनसे इनकी जिविका पर बुरा असर डालने वाली तथा कथित विकास योजनाओं के बारे में जानना चाहा तो हमें पता चला, कि उनमें से ज्यादातर इन योजनाओं और इनसे होने वाले असर से पूरी तरह अनभिज्ञ है। जबकि उनमें से कई थोड़े पढ़े लिखे है, लेकिन उनकी समझ सिर्फ हाकिंग झोन तक है।

❑ ❑ ❑

कुछ अन्य वर्ग

दाल मिल

करीब 400 दाल मिल इन्दौर के दक्षिण–पूर्वी, पालदा ऐग्रों इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में कार्य कर रही है।बडी संख्या में पुरूष एवं महिलाएँ इन धुआँ उगलने वाली मिलों में कई घंटो, बिना किसी बोनस, बीमा और पी.एफ. आदि के कार्य कर रहे है। इनमें से अधिकतर खंडवा, खरगोन और धार के लोग है, जो कि साल में एक या दो बार ही घर जा पाते है। महिलाएँ ज्यादातर मशीनों पर आदमियों को मदद करती है या फिर बोरा सिलती है, जिसमें एक दिन में 8 से 10 घंटे काम करने पर 40से 60रू. मिलते है। इन मिलों में कई हम्माल भी होते है, जो बोरों को उठाते और यहाँ से वहाँ पहुँचाते है। बैलगाडी, उत्पादन को शहर के अंदर और बाहर पहुँचाने का सबसे मुख्य परिवहन साधन है। अधिकांशतः बैलगाडी का मालिक मिल मालिक स्वयं होता है, और बैलगाडी चलाने वाले को 70रु. रोज पर नौकरी दी जाती है।

चमड़े के खिलौने

देश में चमड़े के खिलौने बनाने और निर्यात करने में इन्दौर का नाम अग्रणी है। यह कॉट्ेज इण्डस्ट्री, तब बड़ी जबकि ये सामान निर्यात होना शुरू हुआ। लगभग 90% से 95% उत्पादन जर्मनी, फ्रांस,यू.एस.ए. ,इग्लैंड, खाडी देशों और करीब 75.80% विश्व के दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। चमडे के खिलौने बनाने का तरीका बहुत जटिल है, और ज्यादातर काम हाथों द्वारा किया जाता है, मशीनों का उपयोग बहुत ही कम होता है। शुरूआत में स्टील के तारों से ढाँचा बनाया जाता है, तब इसे सूखी घास से भरा जाता है और शरीर को आटे की लई से अंतिम रूप दिया जाता है।

भविष्य की विकास योजनाए

- मास्टर प्लान 2021
- जवाहरलाल नेहरूशहरी नवीनीकरण योजना इस योजना के अन्तर्गत भविष्य मे शहर मे बहुत बडे पैमाने पर विकास कार्य होगे जैसे –मौजूद है।

1. शहरी विकास प्लान –जे. एन. एन. यू. आर. एम. के तहत शहर को बदलने के लिए 2750 करोड़ का व्यय। (दैनिक भास्कर 22 मार्च 2006)
2. आई. डी. ए. की 44 लाख रू. हर रोज खर्च करने की योजना –

(अ) शहर को बेतरतीब गुमटियों से मुक्त कराने के लिए मुख्य जगहों पर 2000 गुमटियाँ बनाना।

(ब) निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए मकानों की 3,000 ईकाईयों का निर्माण।

(स) जूनी इन्दौर ओवर ब्रिज (जिससे की 200 दुकाने और घर प्रभावित होगे।)

(द) छावनी ब्रिज का हिस्सा (150 परिवार इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में ही बेदखल हो चुके है, और अब 60 छोटी (फुटकर) दुकानों पर बुलडोजर चलेगें।

(इ) केशर बाग ओवर ब्रिज (इस प्रोजेक्ट के अंर्तगत लगभग 300 परिवारों को स्थानांतरित किया जाएगा।)

(फ) पिपल्याहाना से कृषि महाविद्यालय तक की सड़क का चौड़ीकरण, 3 कि. मी. की सड़क जिसमें की 200 परिवार प्रभावित होगे।

(ग) पिपल्यापाला क्षेत्रीय गार्डन, करीब 150 परिवार प्रभावित होंगे।

3 हार्कस झोन, पहली हार्कस झोन लालबाग के पीछे बनाई जा रही है। (इंदौर समाचार 16 फरवरी 2006)

❑ ❑ ❑

निष्कर्ष

इस योजना के अर्न्तगत कई प्रवधानो मे बदलाव केये जाना प्रस्तावित है। जो सीधे–सीधे एक विशिष्ट वर्ग को निजि फायदा पहूँचाने का प्रतीत होता है। आने वाला समय शहर के मेहनतकश गरीबो के लिए काफी संघर्ष भरा हो सकता। इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान बड़ी संख्या मे लोग प्रभावित होग। जिससे गरीबी एंव बेरोजगारी मे बहुत ज्यादा इज़ाफा होगा। इस योजना का अच्छी तरह से अध्ययन कर इसके नकारात्मक पहलूओं को उजागर करने की आवश्यकता है।

भविष्य में शहरी गरीबों के व्यापक हित में कुछ जरूरी योजनाएँ

एक बात साफ है, कि सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी के कारण ढूँढना ही किसी प्रक्रिया को चालू करने के लिए काफी नही होता क्योंकि ये सवाल बहुत सारी जिदंगियों को लेकर है। हम लोगो ने कई ऐसे अवरोधों को चिन्हित किया है, जो गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने में कारक रहे है। ये लोग जन्म से गरीब नही होते, परिस्थितियॉ बना देती है। गरीबी की पराकाष्ठा यह है, कि इन्हें सबसे पहले यह साबित करना होता है कि इन्हें भी समाज में रहने का अधिकार है, मेहनत–मजदूरी कर रोजी–रोटी कमाने का हक है और शहरी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने का हक है। शोषण के खिलाफ यह एक ऐसी अंतहीन लड़ाई है जो कि हमारे सामाजिक ढ़ाँचे में पूरी तरह से उतर चुका है। इस तबके का हमेशा से ही इस्तेमाल होता रहा है ,इस पूरी प्रक्रिया में इनके अधिकार और जरूरतों को उपेक्षित किया जाता रहा है, जिसका ताजा उदाहरण मास्टर प्लान 2021 और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना है।अभी सबसे ज्यादा जरूरत एक ऐसी कार्य योजना बनाने की है, जो इस तबके के हितों को सुरक्षित रख सके। इस प्रक्रिया के लिए हम लोगो ने एक रूपरेखा तैयार की है जो इस समस्या के हल के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। कार्य योजना के तीन आधार है–

1. जमींनी / छोटे–छोटे प्रयास

2. लोगो की जनभागीदारी

3. योजनाओं एवं नीतियों में गरीबों के पक्ष में वकालत करना

जमीनी प्रयास

पोऑलों फॅरारे ने अपने अध्ययन में लिखा है कि ''सच यह है कि जो भी हो ये शोषित वर्ग हाशिए पर नहीं है, और ना हि समाज के ''**बाहर**'' रहने वाले लोग है। ये हमेशा से ही सामाजिक ढाँचे का अंदरूनी हिस्सा रहे है ,जो इन्हें **दूसरों के लिए** बनाते है। इन्हें शोषित समाज का हिस्सा बताना कोई हल नहीं है, बल्कि उस ढाँचे में बदलाव के प्रयास करने चाहिए, ताकि ये वर्ग ''**खुद के लिए बन सके**''। ''

लगभग आधा शहर इस समाज पर निर्भर रहता है, लेकिन वर्तमान समय में विकास योजना बनाने वाले या अन्य योजनाकार अपने तानाशाही रवैये की वजह से सिर्फ अमीरों और उच्च वर्ग के हितों को देखते हुए योजनाएँ बनाते हैं। ये वर्ग हमेशा से ही इस्तेमाल होता आया है, बेवकूफ बनता आया है और नजरअंदाज भी होता आया है। लेकिन समय–समय पर इन्हें कुछ थोड़ी–सी सुविधाएं देकर ठगा भी जाता रहा हैं।समाज एवं प्रशासन की सोच एवं कार्य शैली में बदलाव लाने के लिए एक बडे जन–आदोंलन की रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है। कुछ पुराने संगठनों को एवं नये सगंठनों को बनाकर उन्हें आने वाली परेशानियों एवं मुश्किलों के प्रति जागरूक और उनके हल के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। अगर सब ठीक चलता रहा तो कुछ समय बाद आज के इस असंगठित वर्ग का एक बढ़ा सगंठन इस शहर में बन जाएगा। पूर्व में भी मजदूरों की समस्याओं के हल के लिए मिल क्षेत्रों में मजदूर युनियनों ने उलेखनीय कार्य किए है।इन संगठनों को इनके हकों, अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे वे संसाधनों व विकास योजनाओं में असमान साझेदारी को समझ सके और इनके खिलाफ आवाज उठा सके। यह

एक ऐसी प्रकिया होगी जिसके अंत में लोग अपनी परेशानियों का हल खुद निकालने में सशक्त हो जायेंगें।

जन भागीदारी

इस लक्ष्य को अलग–थलग रहकर हासिल नही किया जा सकता, शहर में रहने वाले अन्य लोगों की सहायता भी जरूरी है। जिसके लिए जरूरी है, कि हासिल की गई जानकारियों को शहर के प्रभावी वर्ग, परामर्शदाताओं और सामान्य शहरी तक पहुॅचाया जाए, ताकि इस मसले की पूर्ण जानकारी उन तक पहुॅचे और वे लोग इस वर्ग के प्रति जागरूक हो सके।

हम लोगों ने पूरे अध्ययन में प्रशासन के उदासीन और शहर में रोजगार व्यवसाय करने वाले गरीबों के साथ असहयोग पूर्ण रवैये को उजागर किया है। जिसकी वजह से आम शहरी की ,इस गरीब वर्ग के प्रति जो झूठी धारणा बनी थी वो टूटेगी। इस सच्चाई को लोगो के सामने इस तरह से लानी होगी, जिससे सही चित्र आ सके। तभी आम शहरी हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ दे सकेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सामान्य जनों में से किसी ''**प्रवक्ता**'' की जरूरत पड़ेगी। ''**प्रवक्ता**'' लोगो का एक ऐसा समूह हो, जो समान विचारों वाले संगठनों को तलाश कर उनके साथ अपने मसले एवं कार्यो का आदान–प्रदान कर सके। ये प्रवक्ता समूह एक विशिष्ट वर्ग में पैर रखने की जगह बनाएगा और इसके बाद शायद हमारे पास जागरूक नागरिकों का एक सशक्त मंच बन जाए। मजदूर संगठन के अलावा जागरूक नागरिकों का मंच भी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रशासन के सामने गरीबों एवं शहर के व्यापक हित में महत्वपूर्ण मुद्दे उठायेगें।

पहले भी इन्दौर में छत के अधिकारों को लेकर झुग्गी बस्ती संघर्ष मोर्चे की शुरूआत, तंग बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के साथ शुरू की थी। इस संगठन को प्रेस मीडिया, लेखक, रिटायर्ड प्रोफेसर, आदि से बहुत सहयोग मिला।

इसका एक जीवंत उदाहरण मास्टर–प्लान 2021 है, इस योजना में गरीबों एवं मजदूर वर्ग के लिए कोई जगह नही थी, शहर में इनकी उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। शहरी गरीबों के हित में इस योजना में एक बड़े बदलाव की जरूरत थी, गरीब एवं तंग बस्तियों में रहने वाले एवं शहर के इस जागरूक समूह के साथ लगातार बैठक कर हमने–आपत्तियों एवं सुझाव, योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दस्तावेज को मध्यवर्गीय ने भी सराहा है। हाल–फिलहाल विकास योजना 2021, उसमें पायी गयी अनियिमतताओं की वजह से कोर्ट में लंबित पड़ी है।

योजनाओं एवं नीतियों में गरीबों के पक्ष में वकालत करना

योजनाओं में बदलात एवं सुधार के लिए इन सारे बिन्दुओं को योजनाकारों एवं प्रशासन के सामने रखना भी बेहद जरूरी है। शायद यह एक सही रास्ता होगा,शहरी गरीबों की परेशानियों एवं उनके बहते ऑसूओं को जिम्मेदार पक्ष के समक्ष पेश करने का।

1) सरकार एवं प्रशासन द्वारा किये जा रहे कानूनी परिवर्तनों और अन्य क्रियाकलापों में शहर के इस गरीब तबके का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। गरीबों के व्यापक हित में यह जरूरी है, कि किसी भी शहरी योजना को बनाते समय इस वर्ग को प्रक्रिया मे शामिल किया जाए। इस प्रक्रिया से यह तय हेा सकेगा कि इनकी स्थिति और न बिगड़े और इनकी गरीबी कम हो सकें।

2) जितनी भी योजनाएॅ एवं नीतियॉ बन रही है ,उनका ध्यान से अध्ययन कर, उनमें पायी गई गलतियों एवं उनमें बदलाव के लिए ठोस वैधानिक एवं प्रमाणित तथ्य पेश करने होगें। वर्तमान गरीब विरोधी योजनाओं को बदलने के लिए उनके विकल्प को तैयार करना होगा।

3) अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के समक्ष भी हमे हमारें जीविका के मुद्दे को सशक्त रूप से उठाना होगा।

4) गरीबों के हित में बनाई जाने वाली तथाकथित योजनाएँ बाहर से तो काफी लुभावनी दिखती है। लेकिन उस के भीतर की कूटनीति को जानने की जरूरत है, जो यहाँ भी एक विशिष्ट वर्ग को फायदा पहुँचाती नजर आती है। गरीबों के हित में बनाई जाने वाली योजनाओं में गरीबों की भागीदारी सुनिश्चित हों।

5) एक ऐसे वृहद मंच की स्थापना करना जो स्थानीय जन प्रतिनिधियों के समक्ष बातों को रख सकें, जैसे कि क्षेत्रिय विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर आदि।

❑ ❑ ❑

सर्वेक्षण मानचित्र

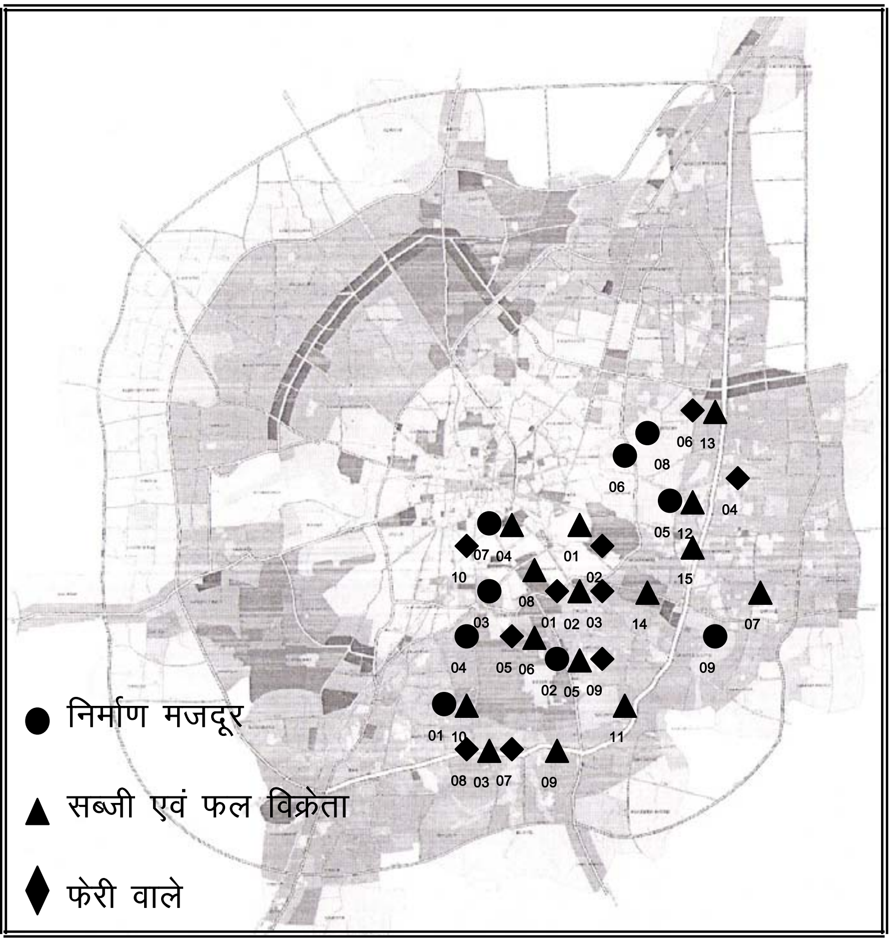

पेपर कटिंग

दैनिक भास्कर

यशवंतसागर का 25 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर

40 करोड़ का गार्डन प्रोजेक्ट लौटाया, सीवरेज प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

विशेष संवाददाता

इंदौर, 27 मार्च : आखिरकार 25 करोड़ रु. के यशवंतसागर कायाकल्प प्रोजेक्ट को शहरी नवीनीकरण मिशन से मंजूरी मिल गई। महापौर उमाशशि शर्मा के मुताबिक आज दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न शहरों के जिन चुनिंदा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई उनमें यह भी शामिल है।

तकनीकी मुद्दों का तुरंत निराकरण- 31 मार्च के पहले नगर निगम को पहली किस्त का पैसा भी मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए सांसद सुमित्रा महाजन और महापौर ने जमकर प्रयास किए थे। आज भी हाईपॉवर स्क्रीनिंग कमेटी ने कुछ तकनीकी मुद्दे उठाए जिनका निराकरण सिटी इंजीनियर जे.पी.पाठक द्वारा मौके पर ही किए जाने के बाद ही अंतिम स्वीकृति मिल पाई।

नए सिरे से बनाना होगा गार्डन प्रोजेक्ट- मिशन ने 40 करोड़ के गार्डन प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इंकार कर दिया। वह केवल बाउंड्रीवाल व लाइटिंग के लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट को नए सिरे से तैयार कर जल व पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान भी करना होगा। इसे आज की बैठक के एजेंडे में शामिल करवाने के लिए निगमायुक्त विनोद शर्मा व सिटी इंजीनियर हरभजनसिंह दो दिन से दिल्ली में थे पर सफलता नहीं मिली।

संक्षेपिका अनुमोदन के लिए कैबिनेट को- 325 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट को मिशन ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। चूंकि इतनी लागत के प्रोजेक्ट्स पर अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ही होना है इसलिए आज इससे संबंधित संक्षेपिका का अनुमोदन कर दिया गया जो कैबिनेट को भेजा जाएगी।

दस प्रोजेक्ट ही मंजूर हुए- निगमायुक्त विनोद शर्मा के अनुसार मिशन से इस वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाना थी। जिन 16 शहरों के डेवलपमेंट प्लान 21 मार्च की बैठक में मंजूर हुए थे और उसके बाद मिशन, राज्य सरकार और संबंधित नगरीय निकायों के बीच एमओयू साइन हो गया था, उनमें इसी वित्तीय वर्ष में पैसा लेने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। आज 50 करोड़ से कम लागत वाले प्रोजेक्ट एजेंडे में लिए गए थे और केवल 10 को मंजूरी मिल पाई।

यशवंतसागर प्रोजेक्ट- बारिश के दौरान जो पानी छोड़ा जाता है वह सायफन से कुछ दूर एक बैराज बनाकर रोका जाएगा। पहले दौर की बारिश के बाद बैराज के निचले गेट खोलकर नीचे इकट्ठा होने वाली सिल्ट बहा दी जाएगी और फिर पानी एकत्र होगा।

बहाना पड़ता था पानी- यशवंतसागर से शहर के पश्चिमी क्षेत्र के बड़े हिस्से में आपूर्ति की जाती है मगर अभी पाल की ऊंचाई कम है इसलिए बारिश में कैचमेंट एरिया से यहां पहुंचने वाला पानी बहुत कम एकत्र हो पाता है और बाकी पानी सायफन से यूं ही बहाना पड़ता है।

प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा बढ़ाया जाएगा- अपर आयुक्त कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक निगम प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के बजाय जो व्यक्ति इसके दायरे से छूटे हुए हैं उनसे पैसा वसूलने का निर्णय लिया है।

हर विधायक के क्षेत्र में दस करोड़ के काम- निगम ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके मुताबिक शहर के सभी विधानसभा क्षेत्र में विधायकों की मांग के मुताबिक 10 करोड़ का एक-एक प्रोजेक्ट मिशन में लिया जाएगा। इसके लिए विधायकों से विधायक निधि का एक हिस्सा निगम को देने का आग्रह किया गया है।

मिशन के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले अगले प्रोजेक्ट

- गंदी बस्ती उन्मूलन
- हॉकर्स जोन
- सड़क चौड़ीकरण

लालबाग के पीछे बनेगा पहला हाकर्स झोन

इन्दौर (विशेष संवाददाता)। नगर निगम द्वारा दिहाडी और छोटे दुकानदारों के लिये शहर में विभित्र स्थानों पर हाकर्स झोन का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत सबसे पहले लालबाग पेलेस के पीछे खाली पड़ी जमीन पर हाकर्स झोन बनाने की तैयारी कर ली है।

मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने सबसे पहले छोटे और दिहाडी दुकानदारों के संबंध में पहल करते हुए इनके लिए स्थाई ठिकाना बना कर देने की योजना तैयार की थी। मुख्यमंत्री की योजना पर नगर निगम ने अमल करने का फैसला लिया, जिसके तहत छोटे दुकानदारों के लिए हाकर्स झोन शहर में कई स्थानों पर बनाने का फैसला लिया है। जिस पर महापौर परिषद भी पिछले दिनों हरी झंडी दे चुकी है। निगम का मानना है कि इन दुनाकदारों को थोडे ही दिनों में ईधर से उधर हकाला जाता है जिसके कारण यह लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तरस जाते हैं। इन्हें बचाने के लिए सबसे पहले लालबाग पेलेस के पीछे खाली पड़े स्थान का चयन कर लिया गयी है जहां हाकर्स झोन बनाया जाएगा। निगम द्वारा हाकर्स झोन स्थापना के तहत छोटे दुकानदारों को निगम की ओर से मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के बाद उनका व्यवसाय स्थापित करवाया जाएगा। हाकर्स झोन पर दुकानदार अपनी वस्तुएं बेखोफ होकर बेच सकेंगे और इसके अवज में उन्हें नगर निगम को नाम मात्र का शुल्क अदा करना होगा। एक स्थान पर हाकर्स झोन की स्थापना सार्थक सिद्ध होती है तो फिर नगर निगम शहर में अन्य स्थानों का चयन कर वहां भी इन्हें विकसित करेगा। निगम के राजस्व समिति प्रभारी ललित पोरवार का कहना है कि जल्द ही लालबाग के पीछे हाकर्स झोन स्थापना की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

अग्निबाण अप्रेल

पांच लाख रुपए महीने की रिश्वत वसूलती है पुलिस टेम्पो वालों से

शहर के लिए ११९ टेम्पो मंजूर हैं और चल रहे हैं ४०० से अधिक टेम्पो

महेंद्र बापना

इन्दौर। यह कोई कोरी गप या अफवाह नहीं है, बल्कि कसौटी पर कसा गया सच है कि शहर और शहर के बाहर चलने वाले अवैध टेम्पों संचालक यातायात पुलिस और बाहरी क्षेत्र के थानों की पुलिस को प्रतिमाह पांच लाख रुपए भेंटपूजा में अर्पित करते हैं और यह सिलसिला पिछले कई सालों से अनवरत जारी है।

एक टेम्पो से १ हजार

आंकड़ों के मान से शहर में ११९ टेम्पो वैध बचे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या २५० है, लेकिन परमिटधारी टेम्पो से दुगने अवैध टेम्पो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। शहर में कोई ३०० और ग्रामीण क्षेत्र में ४५० टेम्पों संचालित हो रहे हैं। इनमें आधी संख्या अवैध टेम्पो की हैं। प्रत्येक टेम्पो से प्रतिमाह एक हजार रुपए की दर से चार लाख रुपए रिश्वत यातायात पुलिस और ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिस इस तरह ले रही है मानों यह उनका अधिकार ही है।

पैसे सीमा पार करने के

दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग स्थान तय कर वहां से पंद्रह किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए टेम्पो के परमिट जारी किए गए हैं। ६ +१ यात्री क्षमता के इन टेम्पो का रंग नीला रखा गया है। इन टेम्पो को हातोद से पंद्रह किलोमीटर आगे या इन्दौर की तरफ, सांवेर से पंद्रह किलोमीटर, पीथमपुर से पंद्रह किलोमीटर, क्षिप्रा से पंद्रह किलोमीटर और सिमरोल से पंद्रह किलोमीटर तक यात्री ढोने का परमिट दिया गया है।

कई टेम्पो के मालिक हैं पुलिस वाले और नामी गुंडे

आधे से अधिक अवैध टेम्पो तो खुद पुलिस वालों के हैं, जब कोई पुलिस का अधिकारी इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है या उनके चालान बनाता है तो उसे पुलिस वालों के परिवार का कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है, वहीं बचे हुए आधे टेम्पो शहर के नामी गुंडों के हैं, जो चालानी की कार्रवाई अथवा टेम्पो जब्त करने पर संबंधित अधिकारी को शारीरिक क्षति पहुंचाने तक की कोशिश से पीछे नहीं रहते।

एक तरफ तो इन मार्गों पर २५० के बजाए ४५० टेम्पो चल रहे हैं २०० अवैध टेम्पो के संचालक एक हजार प्रतिमाह के दो लाख रुपए इन क्षेत्रों के थाने को दे रहे हैं, वहीं सभी ४५० टेम्पो चालक ३०० रुपए प्रतिमाह की दर से इस बात का पैसा दे रहे हैं कि उन्हें सवारी शहर से ढोने दी जाए। हातोद के परमिटधारी टेम्पो एरोड्रम थाने तक आ सकते हैं, लेकिन वे आसानी से बड़ा गणपति तक आ जाते हैं। इसी तरह सांवेर से चलने वाले टेम्पो बारोली तक आ सकते हैं, लेकिन वे मरीमाता चौराहे तक आ जाते हैं, पीथमपुर से चलने वाले टेम्पो राजेंद्रनगर तक आ सकते हैं, लेकिन वे अन्नपूर्णा तक चले जाते हैं। बेटमा से चलने वाले टेम्पों नावदा तक आ सकते हैं, लेकिन वे लाबरिया भेरू चौराहे तक चले जाते हैं, इसी प्रकार क्षिप्रा से चलने वाले टेम्पो डकाच्या तक आ सकते हैं,लेकिन वे पाटनीपुरा चौराहा और एलआईजी तक आ जाते हैं। इसी तरह सिमरोल से चलने वाले टेम्पो खंडवा नाका तक आ सकते हैं, लेकिन वे भंवरकुआं चौराहे तक चले आते हैं। रोजाना शहर की छाती ग्रामीण क्षेत्र के ४५० टेम्पो छिलने में लगे हैं, लेकिन न तो यातायात पुलिस और न ही इन इलाकों की पुलिस इन पर कोई कार्रवाई करती है और कार्रवाई हो भी कैसे जब टेम्पो चलाने वाले अवैध टेम्पो संचालन का मुंह मांगा पैसा जो देते हैं।

टेम्पो के शहर में मौजूद स्टैंड

शहर में पंढरीनाथ, गांधीरोड, एमव्हाय, पाटनीपुरा, परदेशीपुरा, बड़ा गणपति, लाबरिया भेरू, नौलखा, तिलकनगर, राजेंद्रनगर, जिंसी, सुखलिया, भंवरकुंआ और एलआईजी में टेम्पो स्टैंड निर्धारित किए गए हैं, यहां से पीले रंग के टेम्पो जिनकी सवारी क्षमता १४ +१ है संचालित हो सकते हैं।

क्या कहती है पुलिस

टेम्पो पर कार्रवाई का मामला मुख्य रूप से यातायात पुलिस के अधीन आता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से शहर मे घुसने वाले टेम्पो का सवाल है उन पर कार्रवाई पहले भी की गई है, लेकिन लेन-देन जैसे आरोप पुलिस की छवि बिगाड़ते हैं। इसलिए अब और सख्ती के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

■ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र चौधरी

मैंने तो खुद लोखंडे ब्रिज से अवैध टेम्पो पकड़ा था। मैं समय-समय पर सभी मातहत अधिकारियों को पत्रों के जरिए इस संबंध में कड़ी चेतावनी दे चुका हूं कि यदि किसी के भी इलाके में अवैध टेम्पो चलते हुए पकड़ा तो बीट प्रभारी के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब पाटीदार से पूछा गया कि लाखों रुपये की रिश्वत देकर अवैध टेम्पो चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस अवैध लेन-देन के बारे में आज तक कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है।

■ ट्राफिक डीएसपी देवेंद्र पाटीदार

मेरी जानकारी में आज तक यह बात नहीं आई है कि अवैध टेम्पो के चलने में लेन-देन हो रहा है, लेकिन आज जब आपने मेरे ध्यान में यह बात लाई है तो मैं इस मामले को अवश्य गंभीरता से देखूंगा और पूरी कोशिश होगी कि अवैध टेम्पो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में नहीं चले। इस पर और सख्ती बरतेंगे।

■ अति. पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर

अग्निबाण

तो इन्दौर में मुंबई जैसे अपराध होंगे...

इन्दौर में बेरोजगारों की स्थिति विस्फोटक, महानगर बन चुके इन्दौर में जीवनयापन के लाले पड़े

राजेश मिश्रा

इन्दौर। तेजी से महानगर का रूप धारण कर रहे इन्दौर के लिए रोजगार की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर सकती है। इन्दौर में बेरोजगारों की स्थिति विस्फोटक स्थिति में है। सवा लाख शिक्षित युवा ही बेरोजगार हैं वहीं अन्य की संख्या भी लाखों में पहुंच गई है। स्थिति यह है कि इन युवाओं के रोजगार पर ध्यान नहीं दिया तो इन्दौर में भी मुंबई की तर्ज पर आने वाले समय में अपराध बढ़ जाएंगे।

जिस तेजी से इन्दौर शहर महानगर का रूप धारण करता जा रहा है वैसे शहर में रोजगार की समस्या भी विस्फोटक रूप धारण करती जा रही है। स्थिति यह है कि इन्दौर के रोजगार कार्यालय में अभी शिक्षित बेराजगारों की संख्या ही सवा लाख के आंकड़ों को पार कर गई है आने वाले समय में अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन्दौर में मुंबई की तर्ज पर अपराध बढ़ जाएंगे और गैंगवार भी शुरू हो सकती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि शासन ने जिस रोजगार कार्यालय को युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी सौंपी है वही सुविधाओं के अभाव में जी रहा है और यहां ६ वर्ष में मात्र ६६ बेरोजगारों को ही रोजगार मुहैया हो पाया है। रोजगार कार्यालय के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो वर्ष २००१ में २३२५३ शिक्षित बेरोजगारों ने पंजीयन कराया इनमें १४७८ को काल लेटर जारी किए गए और मात्र १६ लोगों को ही नौकरी मिल पाई। इस वर्ष १०६४६६ युवाओं का पंजीयन जीवित रहा और उन्हें कहीं नौकरी हांसिल नहीं हो पाई। इसी तरह वर्ष २००२ में २६७८ ने पंजीयन कराया ११२८ कोकाल लेटर जारी किए गए और मात्र दो लोगों को ही नौकरी मिल पाई। इस वर्ष भी ११७३६४ पंजीयन जीवित रहे। वर्ष २००३ थोड़ा राहत देन वाला रहा। इस वर्ष २०१९३ने पंजीयन कराया एवं १०५४ को काल लेटर जारी हुए और ३३ लोगों को नौकरी मिल पाई। हालांकि इस वर्ष भी जीवित पंजीयनों की संख्या १२३६९५ रही। वर्ष २००४ में यह आंकड़ा क्रमश: १७०८१, ६४७, ५, १२८६६२ रहा। २००५ में १८९८१, ५१७, ४, १२६७१६ रहा। इस वर्ष मई माह में अब तक ३३७० युवाओं ने पंजीयन् कराया और ७६६ को काल लेटर जारी हुए और ६ लोगों को नौकरी मिली। इस वर्ष जीवित पंजीयनों की संख्या १२५२०२ रही। इस तरह से इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सवा लाख युवा तो अधिकृत रूप से सरकारी आंकड़ों में ही बेरोजगार हैं। बगैर पंजीयनों की संख्या लाखों में है। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शासन ने अगर बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दिया तो इन्दौर में मुंबई की तर्ज पर अपराध बढ़ जाएंगे।

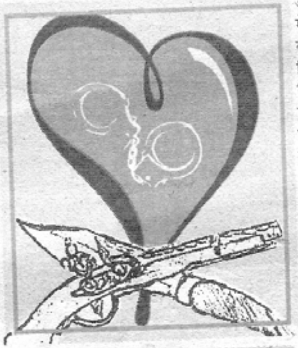

वर्ष	पंजीयन	सम्प्रेक्षण	नियुक्ति	जीवित पं.
०१	२३२५३	१४७८	१६	१०६४६६
०२	२६,७८६	११२८	२	११७३६४
०३	२०,१९३	१०५४	३३	१२३६९५
०४	१७०८१	६४७	५	१२८६६२
०५	१६९८१	५१७	४	१२६७१६
०६	३३७०	७६६	६	१२५२०२

हाईटेक होगा रोजगार कार्यालय

इन्दौर। युवाओं क नौकरी देने में भले ही सक्षम नहीं हो, मगर आने वाले समय में रोजगार कार्यालय जरूर हाईटेक हो जाएगा। रोजगारा कार्यालय को पूरी कम्प्यूटराइज्ड करने की योजना शुरू हो गई है।

क्या कहते हैं रोजगार अधिकारी

सवा लाख जीवित पंजीयन का आंकड़ा चिंताजनक है मगर रोजगार कार्यालय की भी अपनी कुछ मजबूरी है। हालांकि रोजगार कार्यालय समय-समय पर निजी कंपनियों से सम्पर्क कर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का प्रयास कर रहा है और रोजगार अपने स्तर पर भी निजी कंपनियों से सम्पर्क करके नौकरी हांसिल कर रहे हैं। शहर में खुल रही तेजी से बड़ी कंपनियां और मल्टीप्लेक्स संस्थान में रोजगार की समस्या को काफी कम किया है।

- आई.एस.मंडलोई, उपसंचालक जिला रोजगार कार्यालय

आईडीए हर दिन 44 लाख खर्च करेगा

161 करोड़ के बजट में सवा करोड़ से ज्यादा का फायदा

भास्कर संवाददाता

इंदौर, 28 मार्च : इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक हर दिन करीब 44 लाख रुपए (पूरे साल में 160.65 करोड़ रुपए) खर्च करेगा। इस खर्च से रिंगरोड के आसपास और विभिन्न योजनाओं के बगीचे हरेभरे किए जाएंगे। अनेक सड़क, पुल-पुलिया बनेंगी और पांच हजार से ज्यादा प्लॉट विकसित किए जाएंगे। इतना सब करने के बाद भी प्राधिकरण के खजाने में 62 करोड़ रुपए से ज्यादा बच जाएंगे।

प्राधिकरण का 160.65 करोड़ का बजट अध्यक्ष मधु वर्मा व सीईओ सी.बी. सिंह ने संचालक मंडल की बैठक में पेश किया। इसमें 159.37 करोड़ रुपए का खर्च दर्शाया गया है। नए साल में प्राधिकरण अपनी योजनाओं के अलावा भी अनेक काम करेगा। इसमें बड़े अस्पताल में 5 करोड़ की लागत से नए ओपीडी भवन का निर्माण, पौन करोड़ का वृद्धाश्रम, डेढ़ करोड़ का दृष्टिहीन आवासगृह प्रमुख है। गुमाश्तानगर से राजेंद्रनगर के बीच कहीं स्वीमिंग पूल बनाने की भी योजना है। एक स्वीमिंग पूल शहर के पश्चिमी क्षेत्र में भी बनाया जाएगा। मौजूदा कलेक्टोरेट और पास के कृषि विभाग के परिसर को मिलाकर नया कलेक्टोरेट भवन बनाया जाएगा। इस भवन पर वह राशि खर्च की जाएगी जो राजस्व के रूप में प्राधिकरण को चुकाना है। इस योजना के लिए सरकार से अनुमति भी लेना होगी। वृद्धाश्रम के लिए भी जगह तलाशी जा रही है। रणजीत हनुमान मंदिर के विकास पर भी 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

दो हजार दुकानें- शहर को गुमटीमुक्त करने और लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से शहर में 2 हजार छोटी दुकानें बनाई जाएंगी। ये दुकानें प्राधिकरण के पास प्रमुख चौराहों पर उपलब्ध प्लॉटों पर बनेंगी।

तीन हजार प्लॉट- कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 3 हजार प्लॉट भी विकसित किए जाएंगे। इनकी बिक्री लॉटरी पद्धति से होगी। ये प्लॉट स्कीम नंबर 134, 135 और 140 में रहेंगे।

पिछली बार आधा भी खर्च नहीं हुआ- प्राधिकरण ने पिछले साल 122 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसमें से 52 करोड़ ही खर्च हो पाए। 62 करोड़ से ज्यादा की बचत पिछले बजट से बताई गई है। नए बजट में योजनाओं के लिए भूमि जुटाने पर 20.4 करोड़ रुपए, सड़कें बनाने पर 28.3 करोड़ रुपए, पुलियाओं पर 12.9 करोड़ रुपए, विद्युतीकरण पर 5.5 करोड़ रुपए, बगीचों पर 7.2 करोड़ रुपए और भवन बनाने पर 41 करोड़ रुपए खर्च करना प्रस्तावित है।

कहां-कितना खर्च होगा

- जूनी इंदौर ओवरब्रिज 8 करोड़ रुपए
- छावनी पुल का एक और हिस्सा 1 करोड़ रुपए
- केसरबाग रोड पर ओवरब्रिज 1 करोड़ रुपए
- पलासिया ग्रेड सेपरेटर के खर्च में हिस्सेदारी 5 करोड़ रुपए
- पूर्वी रिंगरोड से बायपास तक एमआर-10 पर 9.5 करोड़ रुपए
- पश्चिमी रिंगरोड पर 2 करोड़ रुपए
- पीपल्याहाना से एग्रीकल्चर कॉलेज होते हुए शिवाजी प्रतिमा तक 9.5 करोड़ रुपए
- नए कलेक्टोरेट पर 10 करोड़ रुपए
- पीपल्यापाला रीजनल पार्क पर 5 करोड़ रुपए

शहरी नवीनीकरण मिशन

पहली ही बैठक में 2750 करोड़ का सिटी डेवलपमेंट प्लान मंजूर

- 25 करोड़ के यशवंत सागर प्रोजेक्ट को जल संसाधन मंत्रालय की मंजूरी
- सवा तीन सौ करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा
- 400 बगीचों के मामले में 27 मार्च को फैसला होने की संभावना

विशेष संवाददाता

इंदौर, 21 मार्च : शहर की शक्ल बदलने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत बनाए गए साढ़े 27 सौ करोड़ के सिटी डेवलपमेंट प्लान पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वीकृति की मोहर लगा दी। इसके अलावा 25 करोड़ के यशवंत सागर प्रोजेक्ट को जहां जल संसाधन मंत्रालय ने क्लीन चिट दे दी, वहीं 325 करोड़ रु. के सीवरेज प्रोजेक्ट को शहरी विकास विभाग ने तकनीकी स्वीकृति देते हुए अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट को भेजने का फैसला किया। यशवंत सागर के साथ ही शहर के 400 बगीचों के उन्नयन के प्रोजेक्ट को 27 मार्च को होने वाली बैठक में मंजूरी मिल जाएगी।

सांसद सुमित्रा महाजन और महापौर डॉ. उमाशशि शर्मा तीन दिन से प्रयास कर रही थीं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही कम से कम यशवंत सागर और बगीचों के प्रोजेक्ट पर स्वीकृति की मोहर लग जाए। आज बैठक में महापौर के साथ ही निगमायुक्त विनोद शर्मा व अपर आयुक्त कुमार पुरुषोत्तम ने केंद्रीय शहरी विकास सचिव की मौजूदगी में निगम का पक्ष जोरदार तरीके से रखा। बैठक में 50 करोड़ रुपए से कम लागत वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में फैसला होना था। महापौर का कहना था यशवंत सागर के मामले में विलंब होने पर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में बहुत बाधा आएगी। अभी इसमें बहुत कम पानी है और प्रस्तावित काम आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। यह प्रोजेक्ट आज ही जल संसाधन मंत्रालय से क्लियरेंस के बाद शहरी विकास मंत्रालय में पहुंचा था इसलिए तय हुआ कि इसे अगली बैठक में रखकर मंजूरी दे दी जाए। इसी तरह 400 बगीचों के प्रोजेक्ट में मिशन ने आंशिक संशोधन सुझाए हैं। इसके तहत बगीचों में जल संरक्षण के लिए भी प्रावधान करने की बात कही गई है। निगम ने इससे संबंधित डिटेल प्लान में संशोधन कर दिया है। अब इसे भी अगली बैठक में रखा जाएगा।

केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद क्लियरेंस मिला– यशवंत सागर प्रोजेक्ट को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सैफुद्दीन सोज के हस्तक्षेप के बाद क्लियरेंस मिल पाया। निगम ने यह प्रोजेक्ट काफी पहले ही राज्य सरकार के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय ने इसे जल संसाधन मंत्रालय से संबद्ध बताते हुए वहां भेजने को कहा। मंगलवार सुबह जब महापौर को पता चला कि प्रोजेक्ट अभी तक जल संसाधन मंत्रालय से क्लियर होकर शहरी विकास मंत्रालय वापस नहीं पहुंचा है तो वे श्रीमती महाजन के साथ केंद्रीय मंत्री से मिलीं। श्री सोज अपने मंत्रालय की लेटलतीफी से चौंक गए। उन्होंने संबंधित अफसर को फटकारा और एक घंटे में प्रोजेक्ट क्लियर कर शहरी विकास मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया मगर प्रोजेक्ट जब तक वहां पहुंचा तब तक बैठक समाप्त हो चुकी थी।

मंत्रिपरिषद् के फैसले

मध्यप्रदेश में बीस साल बाद शुरू होगी नई भर्ती

मध्यप्रदेश सरकार की सभी कार्यपालिका और तकनीकी सेवाओं में बीस साल बाद सीमित नई भर्ती शुरू होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के किसानों को उनके खेतों में तालाब बनवाने का पूरा खर्च सरकार देगी। सामान्य वर्ग के काश्तकारों को तालाब की लागत की आधी रकम अदा की जाएगी। उद्योगों के निजी बिजली उत्पादन संयंत्रों (कैप्टिव पावर प्लांट) को अब पांच साल तक विद्युत उत्पादन शुल्क नहीं देना होगा। फेरी लगाकर और फुटपाथ, नुक्कड़ जैसी जगहों पर अस्थाई दुकान लगाकर सामान बेचने वालों की परेशानियां दूर करने और उन्हें जरूरी सुविधायें मुहैया कराने के लिए भी कई कदम उठाये जायेंगे। उपरोक्त फैसले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 9 मई को भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये।

मंत्रिपरिषद् ने सामान्य सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से शिथिल करते हुए समस्त कार्यपालिक तथा तकनीकी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत कुल पदों के दो प्रतिशत सीमा तक रिक्तियां भरने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया। दो प्रतिशत से अधिक पद भरने की आवश्यकता होने पर प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। यह निर्णय पिछले बीस वर्षों से सामान्य सीधी भर्ती पर लगी रोक के कारण विभागों की कार्यक्षमता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है।

शहरों में फेरीवालों तथा हॉकर्स की बेहतरी का कार्यक्रम

मंत्रिपरिषद् की बैठक में शहरों में फेरी लगाकर धंधा करने वालों के कल्याण के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। यह कार्यक्रम फेरी लगाकर या सड़कों की फुटपाथ, गलियों के नुक्कड़ आदि पर अस्थाई स्टाल लगाकर रोजमर्रा की

जरूरी चीजें बेचने वालों को व्यवसाय में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए बनाया गया है। कार्यक्रम के तहत, शहरों में फेरी लगाकर, सिर पर, हाथ ठेलों में सामान रखकर व्यवसाय करने वालों की पहचान के लिए सभी नगरीय निकायों द्वारा उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के आधार पर उनका पंजीकरण कर उन्हें वार्षिक आधार पर लायसेन्स जारी किये जाएंगे। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास नोडल अधिकारी होंगे और हॉकर्स के लिए प्रशिक्षण आदि के कार्य अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान, भोपाल से कराया जाएगा।

प्रत्येक शहर में पहचान किये गये फेरी वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखकर शहर के विभिन्न भागों में तथा बाजारों के पास वार्डों आदि में उपयुक्त स्थान पर हॉकर्स जोन बनाए जाएंगे। इन्हें नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा।

खेत तालाब बनाने पर किसानों को अनुदान

जलाभिषेक अभियान के तहत अपने खेत में तालाब बनाने वाले अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले किसानों को ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ऐसे किसान जो इस श्रेणी में

(शेष पृष्ठ 13 पर)

दैनिक भास्कर

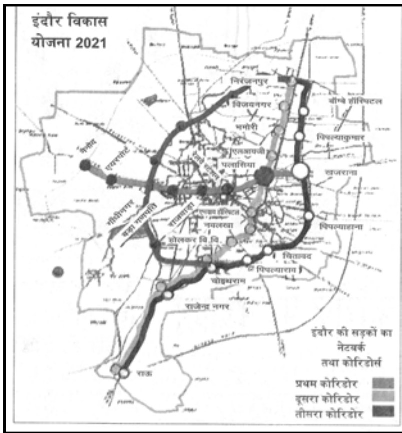

इंदौर शहर विकास योजना 2021

सिंगापुर की तर्ज पर बना मास्टर प्लान

जयश्री पिंगले/ डॉ. राकेश त्रिवेदी
इंदौर 15 नवंबर

इंदौर के नए मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार हो गया है। इसे इंदौर शहर विकास योजना 2021 नाम दिया गया है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने शासन को यह प्रारूप पेश कर दिया है। 600 स्के. मीटर क्षेत्र तथा 90 गाँव और 37 लाख की अनुमानित जनसंख्या के स्तर पर यह प्रारूप निर्धारित किया गया है। सिंगापुर के मास्टर प्लान को मॉडल रखकर इंदौर की विकास योजना बनाई गई है।

इस मास्टर प्लान के प्रारूप को तैयार करने से पहले उपग्रह से पूरे इंदौर परिक्षेत्र की तस्वीरें ली गई हैं। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यह प्रारूप तैयार हुआ है। इसे पूरा करने में सिर्फ डेढ़ साल का समय लगा है। वर्ष 1975 के विकास प्रारूप की बैसाखियों पर चल रहे इंदौर शहर को नए स्वरूप में समेटने में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जैसी आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया। इंदौर एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना सके इस लक्ष्य से यह प्रारूप पेश किया गया है। इस प्रारूप को बनाते समय बड़ौदा, नासिक, मुंबई, कुआलालंपुर, सिंगापुर के मास्टर प्लान को भी मॉडल के रूप में लिया गया है। जिसमें भूमि उपयोग के मामले में किसी सख्त नीति के बजाए लचीला रुख अपनाया गया है। इन आधुनिक शहरों की तरह इंदौर के मामले में भी भूमि उपयोग की नरम नीति को आदर्श माना गया है।

उच्च प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक श्री वी.पी. कुलश्रेष्ठ ने पिछले दिनों इंदौर विकास योजना 2021 का प्रारूप शासन को प्रस्तुत कर दिया है। यह पहली बार हुआ है कि विकास योजना प्रारूप विभागीय स्तर पर तैयार की गई है। शासन ने हाल ही में अधिनियम संशोधन करते हुए मास्टर प्लान के मामले में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को सीमित कर दिया था। जिसके तहत 60 सदस्यीय समिति विकास प्रारूप को तय करने में

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सिंगापुर की तर्ज...

पृष्ठ 1 से जारी

शहर के लिए चार सुपर कॉरिडोर्स

विकास योजना में प्रस्तावित मुख्य बिंदु

ए.बी. रोड

रिंग रोड पश्चिम

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अरबन कम्युनिटि डेवलेपमेंट, द इडियन जरनल ऑफ सोश्ल वर्क, (बुलसारा, जे.एफ.) 1957
- सेन्सस ऑफ इंडिया 2001
- स्लुम नेटवर्किंग (1997)
- पेडागॉगी ऑफ द ऑपरेस्ड, पेंग्वीन एज्युकेशन फेरारी पुआलो (1970)
- विकास योजना 1991
- विकास योजना 2011
- विकास योजना 2021
- टाऊन प्लानिंग टुवर्डस सिटी डेवलपमेंटस, पेटरीक गेडीस, 1918
- मध्यप्रदेश के राज पत्र
- अपना इन्दौर, नईदुनिया
- पेपर कटिंग

Cover page by Vinod Koshti

For further details, please contact:
Hazards Centre
92 H Pratap Market
Munirka
New Delhi 110067
011-26187896, 26714244
haz_cen@vsnl.net